वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति
2020 - 2025

वित्तीय रुप से जागरुक एवं सशक्त भारत का निर्माण करना

वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति
2020 - 2025

सशक्त और आर्थिक रुप से जागरुक भारत बनाने के लिए
बहुहितधारक दृष्टिकोण

विषयवस्तु

चुनिंदा संक्षिप्ताक्षरों की सूची i

कार्यपालक सार 1

अध्याय 1: परिचय 4

अध्याय 2: प्रथम एनएसएफई के तहत प्रगति का अवलोकन (2013-2018) 9

अध्याय 3: आवश्यकताओं का आंकलन और महत्वपूर्ण अंतर 12

अध्याय 4: एनएसएफई के कार्यनीतिक उद्देश्य और विजन (2020-2025) 19

अध्याय 5 : नीति निर्माण 22

अध्याय 6: कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना 24

अध्याय 7: निगरानी और मूल्यांकन 35

संदर्भ 37

अनुबंध - हितधारकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल 38

आकृति, चार्ट और बॉक्स आइटम की सूची

आकृति 1: एनएसएफई के कार्यनीतिक उद्देश्य और विजन (2020-2025) 21

आकृति 2: संस्थागत व्यवस्था प्रवाह चार्ट और प्रत्येक हितधारक की जिम्मेदारियां 32

चार्ट 1: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का लिंग-वार प्रतिशत 13

चार्ट 2: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का क्षेत्र-वार प्रतिशत 13

चार्ट 3: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का उपजीविका-वार प्रतिशत 14

चार्ट 4: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का वार्षिक आय-वार प्रतिशत 14

चार्ट 5: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का ग्रामीण-शहरी प्रतिशत 15

चार्ट 6: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का शिक्षा-वार प्रतिशत 15

चार्ट 7: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का सामाजिक श्रेणी-वार प्रतिशत 16

चार्ट 8: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का आयु-वार प्रतिशत (2019) 16

बॉक्स आइटम 1: कार्य करते हुये सीखना 11

बॉक्स आइटम 2: वित्तीय साक्षरता के घटकों की ओईसीडी-आईएनएफई परिभाषा 12

बॉक्स आइटम 3: वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और सिविल सोसायटी 34

चुनिंदा संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एएमएफआई	भारतीय पारस्परिक निधि संघ
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीसी	व्यवसाय प्रतिनिधि
बीसीएफआई	भारतीय व्यवसाय प्रतिनिधि परिसंघ
बी.एड.	शिक्षा-स्नातक
बीआईआरडी	बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान
बीएसबीडीए	सामान्य बचत बैंक जमा खाता
सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास
सीआईएससीई	काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन
सीएफएल	वित्तीय साक्षरता केंद्र
सीएससी	कॉमन सर्विस सेंटर
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
एफएसीटी	वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण
एफईडीएआई	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ
एफईपीए	वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम
एफईटीपी	वित्तीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम
एफआईडीसी	वित्त उद्योग विकास परिषद
एफएलसी	वित्तीय साक्षारताकेंद्र
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसडीसी-एससी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप-समिति
जीपीएफआई	वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईईपीएफए	विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण
आईआईसीए	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स
आईएनएफई	वित्तीय शिक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क
आईओएससीओ	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईपीपीबी	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
एलडब्लूई	वामपंथी उग्रवाद
एम.एड.	शिक्षा निष्णात
एमसीए	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एमडब्लूएवंसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रलाय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रलाय
एमएचएवंएफडब्लू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमआईएवंबी	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
एमएसडीएवंई	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एमएसजेएवंई	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रलाय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमयूपीएएवंएचए	शहरी गरीबी उपशमन और आवासन कार्य मंत्रलाय
एनसीएईआर	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीएफई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीएस	नई पेंशन योजना
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनईआर	उत्तर-पूर्व क्षेत्र
एनएफएलएटी	राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षण
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनएसएफई	वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति
एनयूएलएम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमएमवाई	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएम-केएमवाई	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
पीएम-एसवाईएम	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरएसईटीआई	ग्रामीण स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान
आरयूडीएसईटीआई	ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थान
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य

सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
टीजीएफआईएफएल	वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूपीआई	यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस

कार्यपालक सार

देश में वित्तीय समावेशन को मजबूत करना भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के चार विनियामकों (भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए) के लिए महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्यसूचियों में से एक रहा है। वित्तीय साक्षरता ग्राहकों को सटीक विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाकर वित्तीय समावेशन संबंधी लक्ष्य को पूरा करने को समर्थित करता है जिससे ग्राहकों की वित्तीय खुशहाली मिलती है।

2. पहले वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई : 2013-2018) की अवधि के पूरा होने के उपरांत, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-अध्यक्ष: माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री) के तहत वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल- अध्यक्ष: उप गवर्नर, आरबीआई) द्वारा अबतक की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्यनीति के तहत की गई प्रगति की समीक्षा और पिछले 5 वर्षों[1] में हुए विभिन्न प्रगतियों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)[2], को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के परामर्श से वित्तीय क्षेत्र के चार विनियामकों और अन्य संबंधित हितधारकों ने संशोधित एनएसएफई (2020-2025) तैयार की है।

3. एनएसएफई दस्तावेज़ का उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार, जो कि उनके धन के बेहतर प्रबंधन और भविष्य की योजना के लिए आवश्यक है, विकसित करने हेतु सशक्त बनाने के माध्यम से भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विजन को समर्थित करना है। सभी भारतीयों की वित्तीय स्थिति मजबूत हो, इस हेतु यह कार्यनीति एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश करती है।

4. आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के विजन को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कार्यनीतिक उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है:

---

[1] मोबाइल फोन की बढ़ती पहुंच, खुदरा डिजिटल लेनदेन, देश में बढ़ती वयस्क आबादी, भुगतान और लघु वित्त बैंकों का आरंभ, फिन-टेक प्लेयर और लोगो के द्वारा वित्त का प्रबंधन करने की आवश्यकता पर जागरूकता।

[2] पीएमजेडीवाई को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे अगस्त 2014 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। अधिक जानकारी के लिए कृपया पृष्ठ सं. 6 (अध्याय -01) में फुट नोट सं.3 हेतु दिये गए स्पष्टीकरण को देखें।

i. वित्तीय शिक्षण के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों को वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को आत्मसात करने एवं उसे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए प्रेरित करना
ii. सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना
iii. वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना
iv. क्रेडिट अनुशासन विकसित करना और आवश्यकतानुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना
v. सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना
vi. प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना
vii. उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना
viii. अधिकारों, कर्तव्यों और शिकायत निवारण के लिए माध्यमों के बारे में जानकारी
ix. वित्तीय शिक्षण में प्रगति का आंकलन करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार

5. निर्धारित कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इस दस्तावेज़ में प्रासंगिक **सामग्री** (स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पाठ्यक्रम सहित) के विकास, वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच **क्षमता** का विकास, उपयुक्त **संचार** कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए **सामुदायिक** नेतृत्व वाले मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाने, और अंत में विभिन्न हितधारकों के बीच **सहयोग** बढ़ाने के माध्यम से वित्तीय शिक्षण के प्रसार हेतु '**5 सी' दृष्टिकोण** को अपनाने की सिफारिश की गई है।

6. कार्यनीति में प्रत्येक **'5 सी'** के तहत निर्धारित सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

सामग्री

- स्कूली बच्चों (पाठ्यक्रम और सह-शैक्षिक सहित), शिक्षकों, युवा व्यस्कों, महिलाओं, कार्यस्थल पर आए नए लोगो/ उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निरक्षर व्यक्तियों, आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री।

क्षमता

- ऐसे विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं के क्षमता को विकसित करना जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु शामिल किए जा सकें।
- वित्तीय शिक्षण प्रदाताओं के लिए एक 'आचार संहिता' विकसित करना।

सामुदायिक

- धारणीय रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु सामुदायिक नेतृत्व दृष्टिकोण का निर्माण।

संचार

- वित्तीय शिक्षण संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, जन मीडिया चैनलों और संचार के नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करना।
- बड़े / केंद्रित पैमाने पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि की पहचान करना।
- वित्तीय साक्षरता संदेशों के सार्थक प्रसार के लिए अधिक विजिबिलिटी (जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आदि) वाले सार्वजनिक स्थलों का लाभ लिया जाना।

सहयोग

- एक सूचना डैशबोर्ड का निर्माण।
- स्कूली पाठ्यक्रम, बी.एड./एम.एड. कार्यक्रमों की तरह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीएवंई) द्वारा अपने क्षेत्र कौशल मिशनों के माध्यम से कराये जा रहे विभिन्न पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वित्तीय शिक्षा सामग्री को एकीकृत करना।
- विभिन्न ऑन-गोइंग कार्यक्रमों के भाग के रूप में वित्तीय शिक्षण प्रसार को एकीकृत करना।
- वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना।

यह दस्तावेज़, कार्यनीति के तहत की गई प्रगति का आंकलन करने के लिए एक मजबूत 'निगरानी और मूल्यांकन ढाँचे' को अपनाने का भी सुझाव देती है।

अध्याय 1: परिचय

1.1 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षण को परिभाषित करता है। **वित्तीय साक्षरता** को वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है ताकि अंततः व्यक्तिगत वित्तीय खुशहाली की प्राप्ति की जा सके (ओईसीडी, *2012)*। दूसरी ओर **वित्तीय शिक्षण** को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता / निवेशक, वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं और जोखिमों के बारे में अपनी जानकारी में सुधार करते हैं और सूचना, अनुदेशों और / या उद्देश्यपूर्ण सलाह के माध्यम से सही विकल्प चुनते हैं तथा यह जानने के लिए कि मदद के लिए कहां जाना है तथा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें कौन से अन्य प्रभावी कार्रवाई करने हैं, वित्तीय जोखिम और अवसरों के बारे में और अधिक जागरूक होने के लिए कौशल और आत्मविश्वास विकसित करते हैं*"* (ओईसीडी, *2005)*।

1.2 जैसा कि देखा जा सकता है, वित्तीय शिक्षण और वित्तीय साक्षरता एक ही टर्म नहीं हैं, ये संबंधित अवधारणाएं हैं। लोग वित्तीय शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते हैं। वित्तीय साक्षरता की उपलब्धि उपयोगकर्ताओं को सही वित्तीय निर्णय लेने हेतु सशक्त बनाती है जिससे उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति मजबूत होती है।

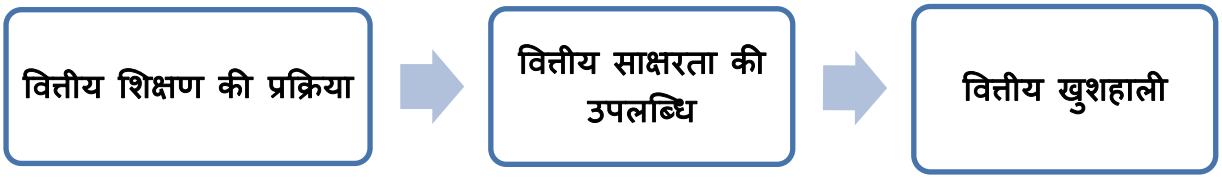

1.3 भारत में वित्तीय सेवा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इस क्षेत्र का विस्तार भी काफी हुआ है। अतः बैंकिंग के विस्तार के साथ-साथ अन्य वित्तीय क्षेत्रों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन विकासों का लाभ आम जनता तक पहुंचे। वित्तीय समावेशन भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए) की एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है क्योंकि यह समावेशी विकास हेतु एक प्रमुख प्रवर्तक है। भारतीय संदर्भ में, वित्तीय समावेशन, मुख्यधारा के संस्थागत प्रतिभागियों द्वारा उचित और पारदर्शी तरीके से किफायती लागत पर कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे असुरक्षित समूहों के लिए आवश्यक उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने

की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन, औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकरण के लिए गरीबों को एक राह प्रदान करता है। जहां वित्तीय समावेशन वास्तव में एक आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप है, वहीं वित्तीय शिक्षण एक मांग पक्ष हस्तक्षेप है। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष पर परिचालित इन घटकों के अलावा, जमीनी स्तर पर अन्य सक्षम कारक भी उपस्थित हैं। किसी भी देश के नागरिकों की वित्तीय खुशहाली से संबंधित उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि ये कारक और बल कितने एकीकृत हैं और ये किस हद तक सामंजस्य में कार्य करते हैं।

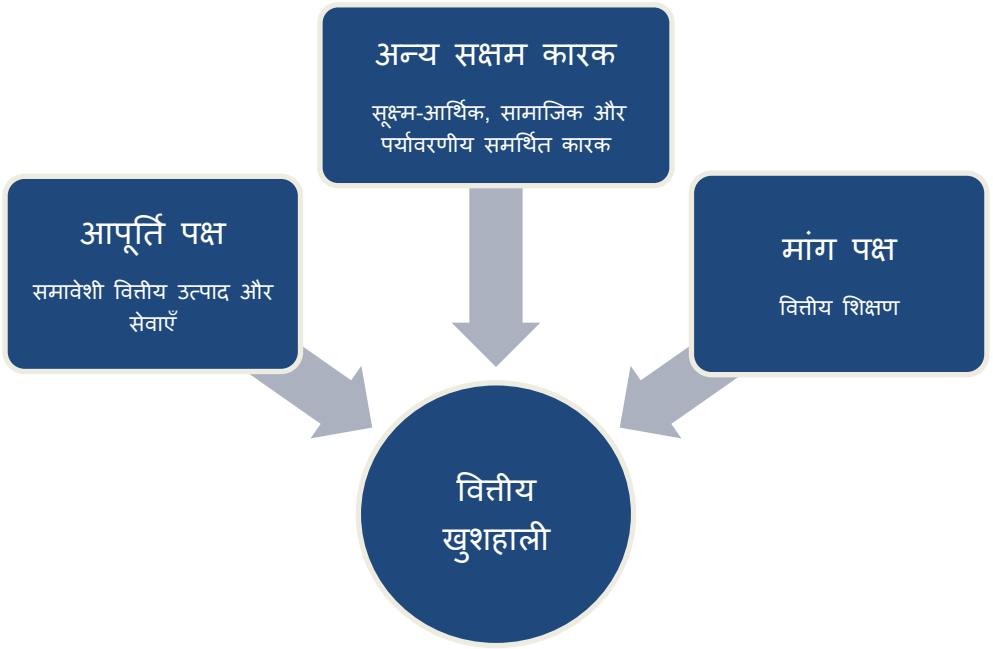

1.4 वित्तीय शिक्षण, आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेपों के द्वारा किए गए पहलों की प्रतिक्रिया में मांग सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। संबंधित हितधारकों द्वारा वित्तीय शिक्षण पहल लोगों को विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच कर वित्तीय खुशहाली प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन प्रयासों को वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) द्वारा निर्देशित किया जाएगा। प्रसंगवश, वित्तीय शिक्षण, शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सं.4 की उपलब्धि को भी समर्थित करती है जिसका उद्देश्य समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा

देना है (शिक्षा पर एसडीजी 4 के तहत साक्षरता पर एसडीजी लक्ष्य 4.6 और जीवन कौशल पर एसडीजी लक्ष्य 4.4)।

1.5 भारत ने पिछले कई वर्षों में अपने नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने के लिए अद्भुत प्रगति की है। चूंकि भारत का पहला एनएसएफई 2013 में जारी किया गया था, अतः उस समय से अबतक देश के वित्तीय समावेशन परिदृश्य में कई बदलाव हुए हैं। इस अवधि के दौरान, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि महत्वपूर्ण वित्तीय समावेशन पहलों ने वित्तीय समावेशन परिदृश्य को बदल दिया है। ये पहलें अपवर्जित वर्गों को न केवल वित्तीय मुख्य धारा में ला रही हैं, बल्कि ये अपवर्जित वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), आवश्यकता आधारित ऋण, विप्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन तक पहुँच भी सुनिश्चित कर रही हैं।

1.6 विश्व बैंक की नवीनतम फिंडेक्स 2017 रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि देश में औपचारिक खाते वाले वयस्कों का अनुपात 2011 में 35% था जो 2014 में बढ़कर 53% हो गया और 2017 में बढ़कर 80% हो गया। भारत ने खाते के स्वामित्व में देश के लिंगानुपात के अंतर को कम करने में भी असाधारण प्रगति की है, यह 2014 में लगभग 20% था को 2017 में घटकर 6% हो गया (विश्व बैंक समूह, 2018)। इन सुधारों में से अधिकांश वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत सरकार की प्रमुख पहल, अर्थात् पीएमजेडीवाई[3], वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा निर्मित

[3] प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), जिसे अगस्त 2014 में शुरू किया गया था, देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन को लाने के लिए वित्तीय समावेशन पर एक एकीकृत दृष्टिकोण युक्त राष्ट्रीय मिशन है। योजना में, हर घर तक कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुँच के साथ यूनिवर्सल बैंकिंग की परिकल्पना की गई है। यह योजना लाभार्थियों के खातों में सभी सरकारी लाभों (केंद्र / राज्य / स्थानीय निकाय से) को प्रदान करने और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की भी परिकल्पना करती है। इसके उपरांत, सरकार ने अगस्त 2018 के बाद भी वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन (पीएमजेडीवाई) को जारी रखने का फैसला किया, जिसमें हर घर से प्रत्येक वयस्क के लिए खाता खोलने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब तक पीएमजेडीवाई के तहत 37.70 करोड़ बैंक खाते (18 दिसंबर 2019 को) खोले गए हैं। अधिक जानकारी के लिए http://www.pmjdy.gov.in/ को देखें।

अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित, का परिणाम माना जा सकता है। वित्तीय समावेशन प्रयासों के माध्यम से प्राप्त लाभों को आगे बढ़ाने के लिए, वित्तीय साक्षरता को यह सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभानी होगी कि लोग अपनी वित्तीय खुशहाली को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करें (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 2019)।

पृष्ठभूमि और एनएसएफई का औचित्य

1.7 भारत में वयस्कों[4] की एक बड़ी आबादी है। स्पंदनशील और स्थिर वित्तीय प्रणाली के माध्यम से समावेशी विकास पर जोर देते हुये यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत त्वरित गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने, इस जनसांख्यिकीय सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। चूंकि केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, वित्तीय संस्थानों, सिविल सोसाइटियों, शिक्षाविदों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों और अन्य सहित कई हितधारकों द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रसारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे मिलकर कार्य करें तथा उनके कार्य को अन्य उद्देश्यों से इतर पूर्णरूपेण वित्तीय शिक्षण पर समग्र रणनीति से संरेखित करने के लिए, वित्तीय शिक्षण हेतु व्यापक राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) एक पूर्व-आवश्यकता है। हाल के वर्षों में, यह तेजी से पहचाना जा रहा है कि राष्ट्र-व्यापी वित्तीय साक्षरता केवल एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसमें विभिन्न हितधारकों, अर्थात सरकार, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में), आदि की भूमिका महत्वपूर्ण है।

1.8 वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति को "वित्तीय शिक्षण हेतु एक राष्ट्रीकृत रूप से समन्वित दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक अनुकूलित रूपरेखा या कार्यक्रम समाहित रहता है" (ओईसीडी, 2019)। एनएसएफई दस्तावेज़ का उद्देश्य, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने के लिए सक्षम बनाना है जो कि उनके धन के बेहतर प्रबंधन और भविष्य की योजना को निर्मित करने के लिए आवश्यक हैं, भारत सरकार और

[4] भारत की जनसंख्या 29 अक्टूबर 2019 तक 1,370,862,591 है, जो नवीनतम संयुक्त राष्ट्र डेटा के वर्ल्डोमीटर विस्तार पर आधारित है। आयु समूह (15-64), कुल जनसंख्या का 67.27% हिस्सा है और औसत आयु 27.1 (https://www.worldometers.info/world-population/india-population/) है।

वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विजन को समर्थित करना है। दस्तावेज़ विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए वर्तमान कार्यों को भी देखता है और भारतीयों की वित्तीय खुशहाली के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाता है।

1.9 इस उद्देश्य के लिए, बुनियादी वित्तीय शिक्षण शुरू करने और देश में आम जनता के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त सामग्री विकसित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) को एक धारा (8) कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।

1.10 पिछले कुछ वर्षों में, डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से प्रगति हुई है जिसने काफी ऐसे नए अवसरों को सामने लाया है जो अबतक ओझल थे। इस डिजिटल क्रांति को डिजिटल इंडिया कैंपेन, डिजिटल साक्षरता अभियान, आदि द्वारा समर्थित किया गया है। देश में डिजिटल लेनदेन और भुगतान बुनियादी ढांचे में एक प्रतिमान विस्थापन हुआ है (कम नकद उपयोग वाले अर्थव्यवस्था का लक्ष्य)। इन सभी विकासों के कारण, वित्तीय शिक्षण हेतु मौजूदा राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) को संशोधित करना और इसे लागू करने के लिए नवोन्मेषी उपायों को अपनाना अनिवार्य हो गया है। वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (2020-2025) अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता के प्रसार में शामिल वित्तीय सेवा प्रदाताओं एवं अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं के कौशल उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करती है।

1.11 यह परिकल्पना की गई है कि इस कार्यनीति को लागू करने से यह देश भर में वित्तीय साक्षरता को आगे बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी तथा इस दस्तावेज़ में निर्धारित कार्यनीतिक उद्देश्यों से आबादी के बीच सकारात्मक व्यवहार के परिणाम सामने आएंगे।

अध्याय 2: प्रथम एनएसएफई के तहत प्रगति का अवलोकन (2013-2018)

2.1 2013 में वित्तीय शिक्षण हेतु पहली राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) के आरंभ के बाद से, विभिन्न हितधारकों ने देश की आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई पहलों का एक स्नैपशॉट अनुबंध में प्रस्तुत है। पहली एनएसएफई (2013-2018) के दौरान कार्यान्वित वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रमों से प्राप्त महत्वपूर्ण सीख निम्नानुसार प्रस्तुत है:

i. **लक्ष्य विशिष्ट मॉड्यूल:** वित्तीय साक्षरता प्रदान करने में सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण से इष्टतम परिणाम प्राप्त नहीं हुये, अतः वित्तीय साक्षरता संदेशों के प्रभावी प्रसार के लिए लक्ष्य विशिष्ट मॉड्यूल विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

ii. **प्रासंगिक और स्थानीय भाषा दृष्टिकोण:** वित्तीय साक्षरता संदेशों के प्रसार की भाषा और विधा को लक्षित श्रोताओं की भाषा के अनुसार होना चाहिए जिसे समझने में आसानी हो। उदाहरण के लिए, नुक्कड़ नाटक (स्थानीय भाषाओं में नुक्कड़ नाटक) को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना गया था।

iii. **माध्यम और वितरण का तरीका:** मल्टी-मीडिया साधन जैसे ऑडियो-विजुअल, डिजिटल वैन (गाड़ियों के माध्यम से डिजिटल वित्तीय साक्षरता), डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, कियोस्क, आदि को डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु सबसे बढ़ियां उपकरण माना गया है। वितरण के तरीके के संबंध में, वन-टू-वन लर्निंग और समूह प्रशिक्षण को वित्तीय साक्षरता संदेशों के प्रसार के प्रभावी तरीके के रूप में पाया गया है।

iv. **कार्य करते हुये सीखना और पीयर-टू-पीयर लर्निंग:** संदेशों की पुनरावृत्ति के अलावा व्यावहारिक अभ्यास / प्रदर्शन के साथ सीखना लंबे समय तक स्थायी रहता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल वैन (डिजिटल वैन) का उपयोग करके डिजिटल वित्तीय लेनदेन के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, आदि।

v. **जन मीडिया आउटरीच में प्रभावकारिता:** जन मीडिया अभियानों के बीच, प्रसारण के अन्य तरीकों की तुलना में टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित संदेशों को दर्शकों द्वारा अधिक समय के लिए याद रखा जाता है।

vi. **हितधारक सहयोग को तर्कसंगत बनाना:** वित्तीय शिक्षण के सभी हितधारकों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, आरबीआई वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफए) की अवधारणा का प्रयोग कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय साक्षरता के वितरण के लिए अभिनव चैनलों का पता लगाने हेतु बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों के सामर्थ्य का लाभ उठाना है। इसी तरह, सेबी वित्तीय

साक्षरता के वितरण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरीओं के सहयोग से निवेशक शिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

vii. **संबंधित उदाहरणों का उपयोग:** वित्तीय साक्षरता संदेश जब वास्तविक जीवन की घटनाओं (जैसे शादी, पालन-पोषण, सेवानिवृत्ति योजना, परिसंपत्ति अधिग्रहण) के साथ जुड़े होते हैं, तो वे विभिन्न लक्षित श्रोताओं के अधिक नजदीक होते हैं।

viii. **सकारात्मक व्यवहार परिणामों का निर्माण:** वित्तीय शिक्षण कार्यक्रमों से सकारात्मक व्यवहार परिणाम की उत्पत्ति को समझने हेतु और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

ix. **डिजिटल बेस का विस्तार:** डिजिटल वित्तीय सेवाओं में प्रगति की तीव्र गति को देखते हुए, सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रथाओं पर ज्ञान को मजबूत करने के लिए केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।

ऊपर दी गई प्रमुख बातें, कार्यनीतिक उद्देश्यों (अध्याय 4), नीति निर्माण (अध्याय 5), और कार्य-योजना (अध्याय 6) में शामिल की गई हैं।

बॉक्स आइटम 1: कार्य करते हुये सीखना

मैं सुनता हूँ और मैं भूल जाता हूँ; मैं देखता हूँ और मुझे याद रहता है; मैं कार्य करता हूं और मैं समझता हूं।

उपरोक्त उद्धरण सीखने के संदर्भ में प्रासंगिक है। यह सर्वविदित है कि किसी भी वित्तीय शिक्षण के हस्तक्षेप का लक्ष्य लक्षित श्रोताओं के बीच वांछनीय वित्तीय व्यवहार के माध्यम से वित्तीय खुशहाली को समर्थित करना है। अतीत में, वित्तीय साक्षरता अभियानों में सामग्री के विकास, प्रतिभागियों के ज्ञान और दृष्टिकोण को बेहतर बनाने पर बहुत से प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। इन वर्षों में, कियोस्क और अन्य स्रोतों के रूप में प्रदर्शन और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के लिए अपनाए गए विभिन्न पहलों में, नुक्कड़ नाटक, नाटकीयता और प्रदर्शन के तरीकों को लक्षित श्रोताओं द्वारा सर्वाधिक सराहा गया है। उदाहरण के लिए, एटीएम से लैस मोबाइल डेमो वैन, माइक्रो-एटीएम, सेबी के रिसोर्स पर्सन और वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी), बैंकों के काउंसलर, दिशानिर्देश के तहत पहली बार दूरदराज के गांवों में डिजिटल लेनदेन करने हेतु व्यक्तियों को सक्षम बना रहे हैं। डिजिटल लेनदेन करके सीखने का यह तरीका ग्रामीण लोगों में से डर को दूर भगा रहा है और उन्हें अधिक डिजिटल लेनदेन करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है। देश भर में स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा मॉड्यूल को एकीकृत करने के प्रयासों के साथ ही सह-शैक्षिक दृष्टिकोण के माध्यम से पाठ्यक्रम कार्यक्रम को पूरक बनाने की भी आवश्यकता है, जिसमें बच्चों को ऐसे प्रासंगिक गतिविधियों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जो बेहतर जुड़ाव और बेहतर प्रतिधारण परिणाम की क्षमता रखता हो। एनसीएफई का मनी स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम स्कूली छात्रों को एक प्रमुख जीवन कौशल के रूप में अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने और उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाने हेतु प्रोत्साहित करता है। सभी वित्तीय शिक्षण पहलों का लक्ष्य है कि छात्रों में विभिन्न अवधारणाओं के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने हेतु पुनरावृत्तियों के माध्यम से व्यावहारिक पहलुओं को शामिल करना चाहिए।

अध्याय 3: आवश्यकताओं का आंकलन और महत्वपूर्ण अंतर

3.1 लोगों की जरूरतों और देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक व्यापक कार्यनीति तैयार करने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया को भारतीय संदर्भ में अपनाया गया है:

क). वित्तीय साक्षरता में अंतर का आंकलन और मूल्यांकन।

ख). ओईसीडी-आईएनएफई क्रॉस-कंट्री फ्रेमवर्क के मानदंडों के आधार पर एनएसएफई की तुलना।

क). वित्तीय साक्षरता में महत्वपूर्ण अंतर का आंकलन और मूल्यांकन

3.2 एनसीएफई ने भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति का पता लगाने के लिए एक बाहरी सर्वेक्षण एजेंसी की मदद से 2019 में एक अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण को पूरा किया है। यह उल्लेखित है कि ओईसीडी-आईएनएफई टूल किट की तर्ज पर 2013 में भी इसी तरह का एक सर्वेक्षण किया गया था। 14 राष्ट्रीय / क्षेत्रीय भाषाओं में घरेलू प्रश्नावली के सेट का उपयोग करके 18 से 79 वर्ष की आयु के 75000 वयस्कों का नमूना लिया गया था। सर्वेक्षण के दौरान जिलों, ब्लॉक / वार्डों, गांवों, घरों, उत्तरदाताओं के चयन के लिए एक बहु-चरण नमूनाकरण तकनीक अपनाया गया है।

बॉक्स आइटम 2: वित्तीय साक्षरता के घटकों की ओईसीडी-आईएनएफई परिभाषा

वित्तीय साक्षरता में धन प्रबंधन, अल्प और दीर्घावधि वित्तीय लक्ष्यों की योजना और जागरूकता तथा वित्तीय उत्पादों के विकल्प के संदर्भ में ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार के पहलुओं को समाहित किया गया है।

वित्तीय ज्ञान में प्रमुख वित्तीय अवधारणाओं की समझ और वास्तविक जीवन की वित्तीय स्थितियों में लाभ का मूल्यांकन करने की क्षमता शामिल है। किसी व्यक्ति के वित्तीय ज्ञान का निर्धारण करने के लिए सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मुद्रा का आवधिक मूल्य, मुद्रास्फीति, विविधीकरण, विभाजन, जोखिम-प्रतिफल और ऋण पर दिए गए ब्याज की अवधारणा का परीक्षण किया जाता है।

वित्तीय व्यवहार में दिन-प्रतिदिन के धन प्रबंधन, वित्तीय योजना, खर्च, बचत, निवेश, दैनिक आवश्यकता को परा करने के लिए ऋण पर निर्भरता और बेहतर भविष्य हेत सरक्षा उपायों के निर्माण का अध्ययन शामिल

3.3 2019 में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि ओईसीडी-आईएनएफई द्वारा निर्धारित वित्तीय साक्षरता के प्रत्येक घटकों में से न्यूनतम लक्ष्य स्कोर / न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर [अर्थात वित्तीय मनोवृत्ति में न्यूनतम 3 (5 में से), वित्तीय व्यवहार में 6 (9 में से) और वित्तीय ज्ञान में 6 (9 में से)] के अंतर्गत उत्तरदाताओं ने वर्ष 2013 के 20% की तुलना में 2019 में 27.18% स्कोर प्राप्त किया है।

3.4 सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए चार्ट में प्रस्तुत किए गए हैं:

चार्ट 1: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का लिंग-वार प्रतिशत

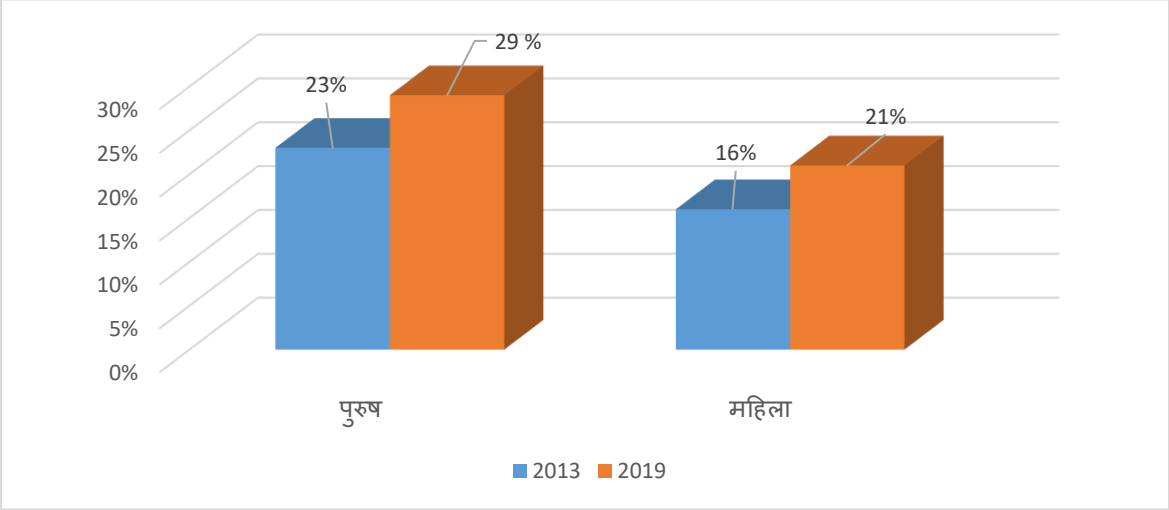

चार्ट 2: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का क्षेत्र-वार प्रतिशत

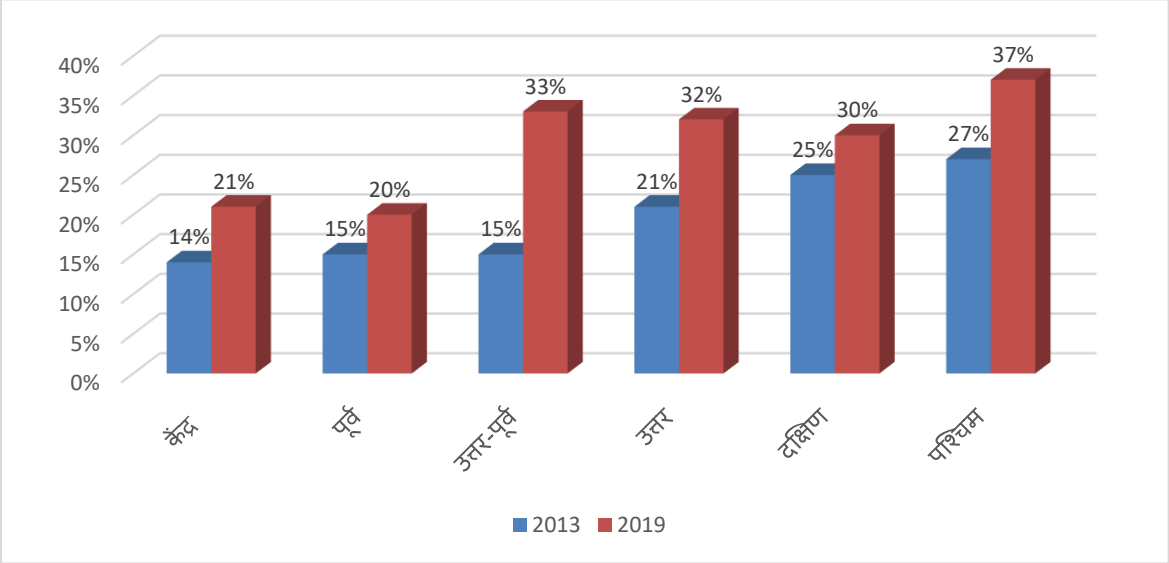

चार्ट 3: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का उपजीविका-वार प्रतिशत

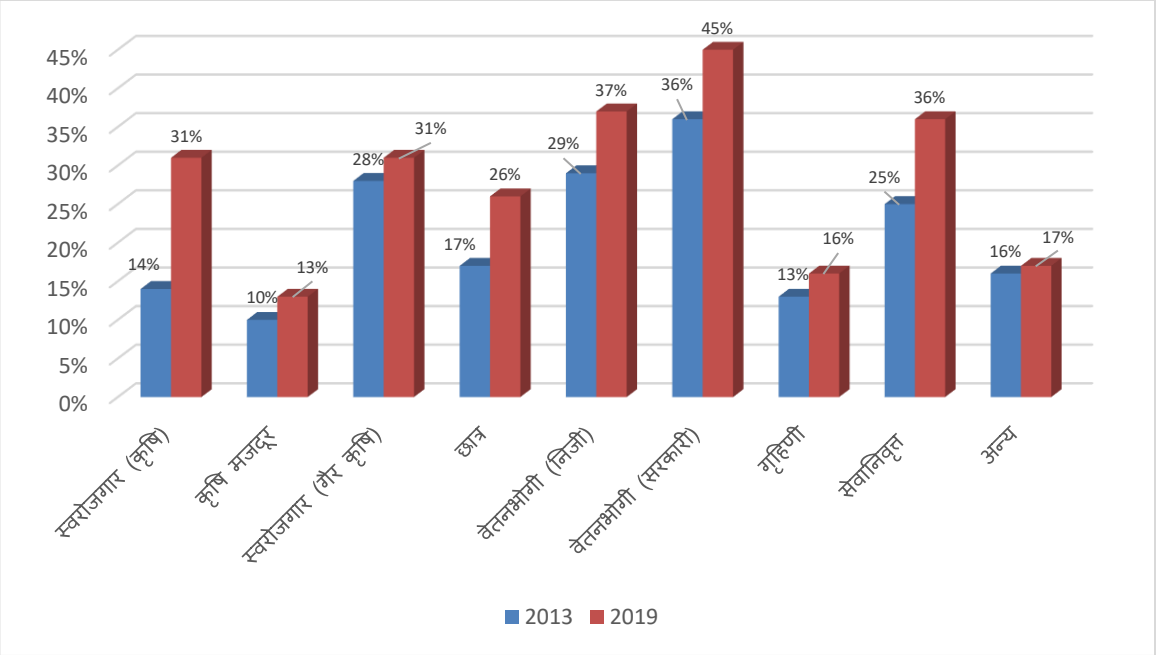

चार्ट 4: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का वार्षिक आय-वार प्रतिशत

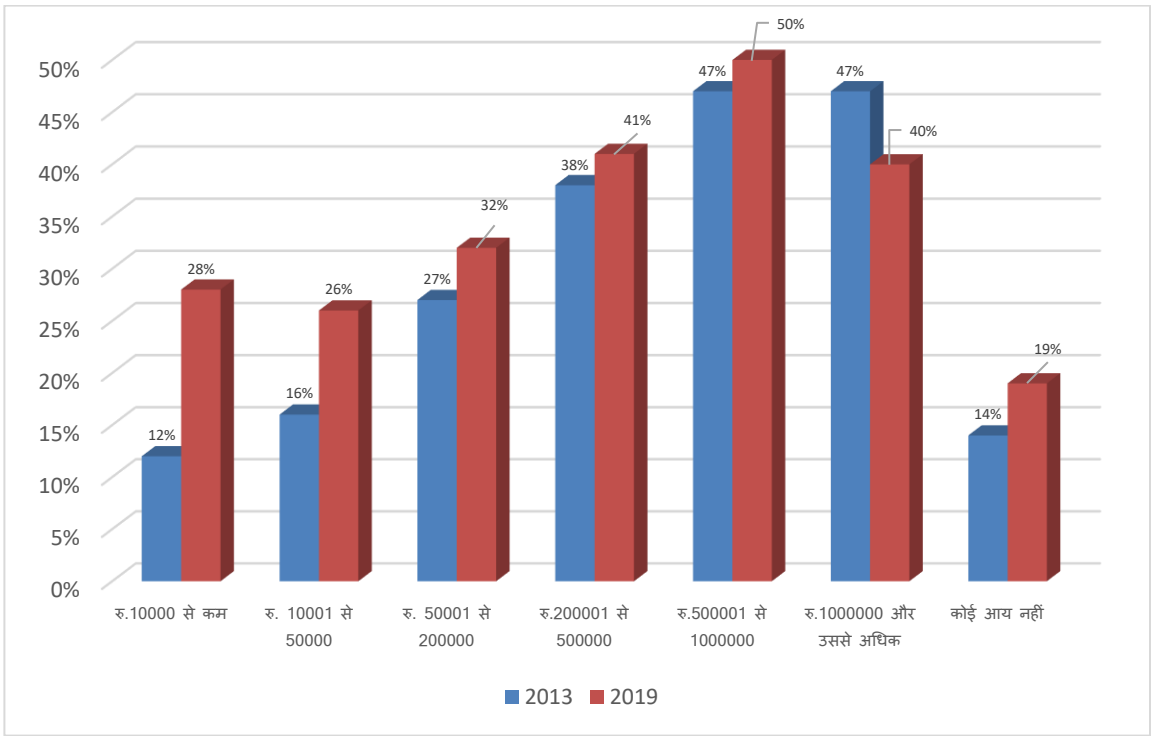

चार्ट 5: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का ग्रामीण-शहरी प्रतिशत

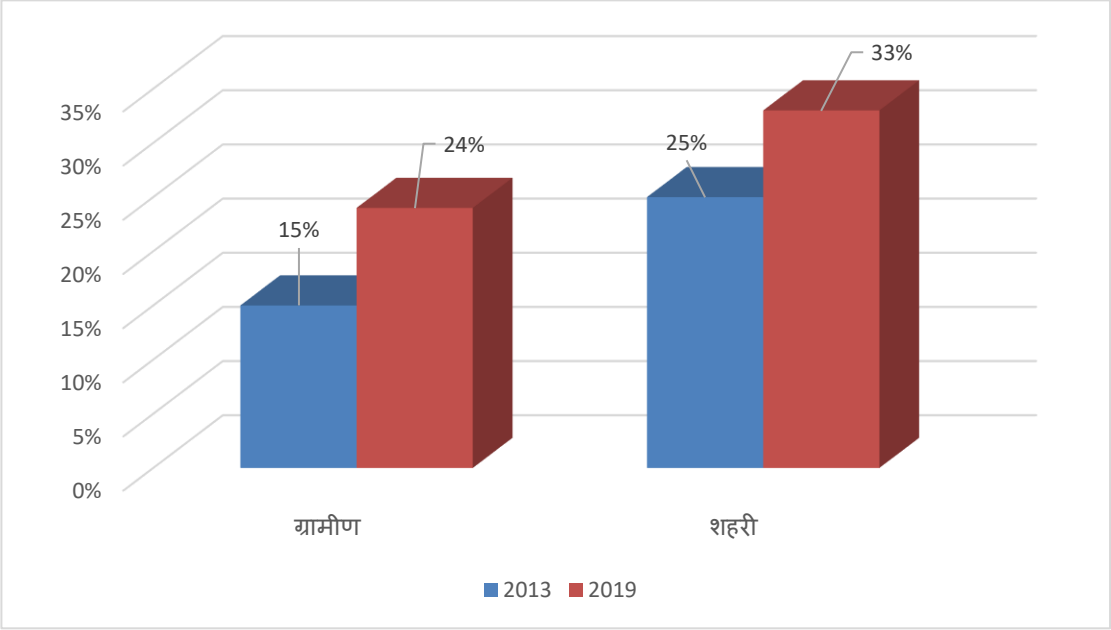

चार्ट 6: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का शिक्षा-वार प्रतिशत

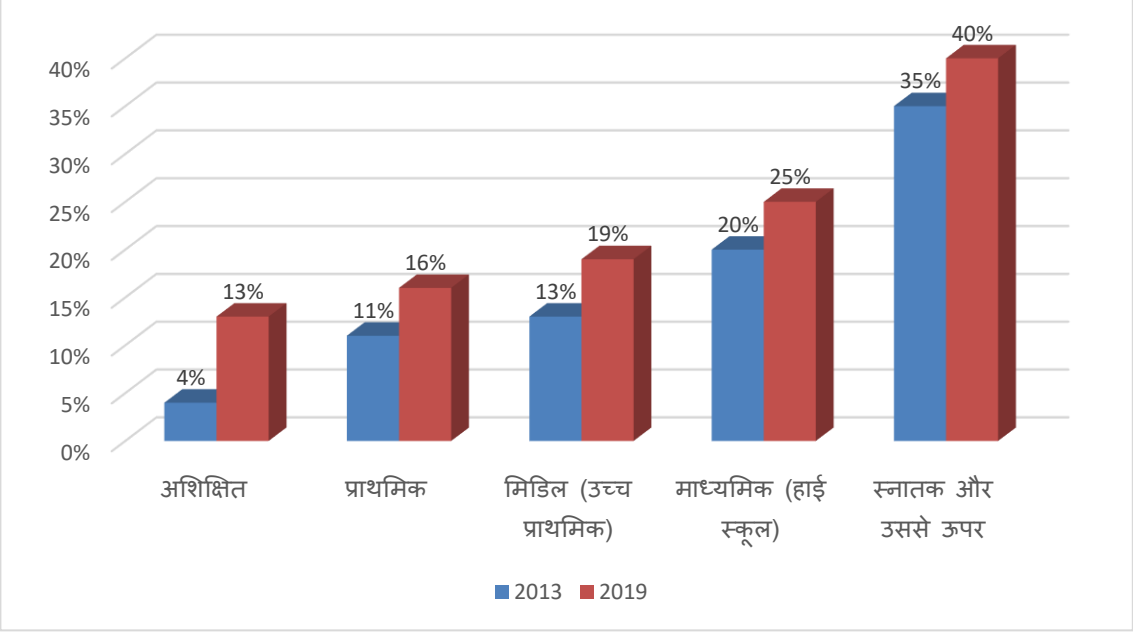

चार्ट 7: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का सामाजिक श्रेणी-वार प्रतिशत

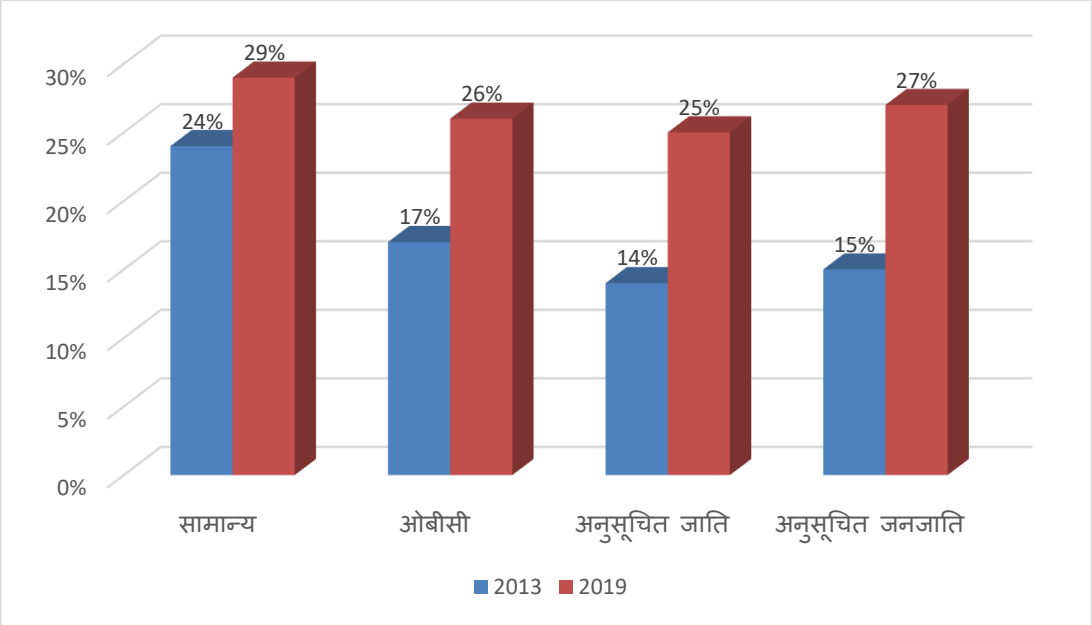

चार्ट 8: न्यूनतम प्रारंभिक स्कोर पार करने वाले जनसंख्या का आयु-वार प्रतिशत (2019)

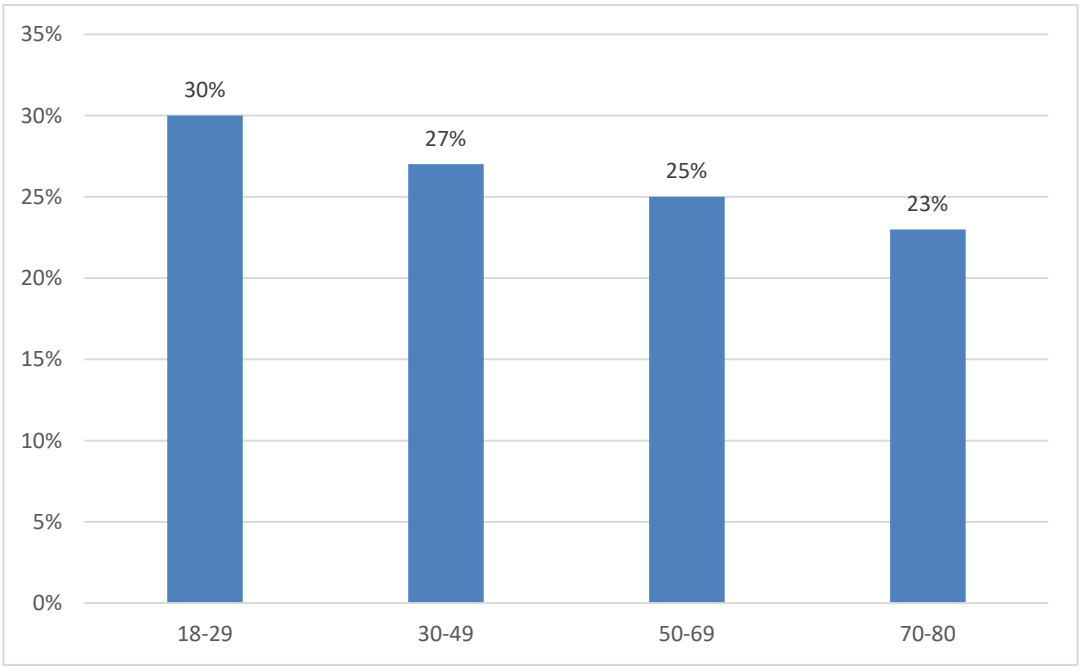

3.5 उपरोक्त उदाहरण चार्ट के आधार पर, वित्तीय शिक्षण प्रयासों में सुधार के लिए निम्नलिखित महत्व वाले क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं:

i. यद्यपि हाल के वर्षों में महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार हुआ है, परंतु फिरभि महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है
ii. पूर्व, मध्य और उत्तर क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है[5]
iii. ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है
iv. निम्न शिक्षा वाले समूह के लिए अधिक वित्तीय शिक्षण के पहल की आवश्यकता है
v. '50 और उससे अधिक आयु' के समूह को अधिक वित्तीय शिक्षण की आवश्यकता है

ख).वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों पर ओईसीडी-आईएनएफई की नीति पुस्तिका के साथ एनएसएफई की तुलना

3.6 वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों पर ओईसीडी-आईएनएफई की नीति पुस्तिका (ओईसीडी, 2015), राष्ट्रों को वित्तीय शिक्षण हेतु अपनी राष्ट्रीय कार्यनीतियाँ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण व व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है। पुस्तिका के आधार पर, देश की कार्यनीति विकसित करने के लिए भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित पहलू को अपनाया गया है:

I. मूल्यांकन के साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यनीति की नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान

क). **मौजूदा पहलों का मैपिंग अभ्यास :** वित्तीय शिक्षण हेतु पहली राष्ट्रीय कार्यनीति (2013-2018) की शुरूआत के बाद से पिछले पांच वर्षों की प्रगतियों और देश की उभरती आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, एनसीएफई ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय क्षेत्र के विनियामक; बैंकों; विकास वित्त संस्थानों; भारतीय बैंक संघ; स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) (एफआईडीसी, एम-फिन और सा-धन); और अन्य हितधारकों (जैसे एनपीसीआई) के परामर्श से मौजूदा पहलों का एक मैपिंग अभ्यास किया था। एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, विकास वित्त संस्थानों, एनपीसीआई आदि द्वारा की गई प्रमुख पहलों को अनुबंध में संक्षेपित

[5]2013 में किए गए सर्वेक्षण में, उत्तर-पूर्व क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र के तहत शामिल किया गया था। अतः 2013 और 2019 के बीच उत्तर-पूर्व डेटा की तुलना नहीं हो सकती है।

किया गया है। कार्यनीतिक उद्देश्यों को तैयार करने और कार्य-योजनाओं को विकसित करने में वित्तीय शिक्षण पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अध्ययन के साथ इन पहलों से महत्वपूर्ण सीख का उपयोग किया गया है।

ख). **राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और समावेशन के स्तर का मापन:** देश में वित्तीय साक्षरता के स्तर का आंकलन करने के लिए ओईसीडी-आईएनएफई टूलकिट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप 2013-2014 में एक अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण संचालित किया गया था। पहले एनएसएफई की अवधि के पूरा होने के उपरांत, पिछले पांच वर्षों (2013-2018) के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 2019 में एक सर्वेक्षण संचालित किया गया है।

II. संस्थागत और शासी व्यवस्था की स्थापना

कार्यनीति के मार्गदर्शन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, एक सुपरिभाषित संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है और उसे अध्याय 6 में प्रस्तुत किया गया है।

III. वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति की मूल्यांकन योजना

कार्यनीति की अवधि के तहत विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन हेतु एक मानकीकृत विधि अध्याय 7 में प्रस्तुत की गई है।

अध्याय 4: एनएसएफई के कार्यनीतिक उद्देश्य और विजन (2020-2025)

4.1 जैसा कि एडवांसिंग नेशनल स्ट्रेटिजी फॉर फ़िनान्सिअल एडुकेशन नामक शीर्षक दस्तावेज़ (ओईसीडी और रूस की जी 20 प्रेसीडेंसी द्वारा 2003 में संयुक्त रूप से प्रकाशित) में उल्लेखित है - वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक संस्थानों द्वारा विकसित किए जाने वाले स्पष्ट वित्तीय शिक्षण आदेशों, उद्देश्यों और संसाधनों को स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है।

4.2 इस कार्यनीति दस्तावेज़ को पहले एनएसएफई (2013-2018) के संशोधित संस्करण के रूप में विकसित किया गया है जिसमें डेटा-चालित निष्कर्ष, नए नीतिगत उपाय, मूल्यांकन उपकरण, हस्तक्षेप और तकनीकी सुधार शामिल हैं। चूंकि यह कार्यनीति पहले के कार्यनीति का संशोधन है, अतः विज़न को बनाए रखने और मिशन को निम्नलिखित कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया है।

विजन - आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत

4.3 चूंकि वित्तीय समावेशन परिदृश्य और सामान्यतः अर्थव्यवस्था में कई विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं, अतः वृहद आर्थिक परिदृश्य में हुये परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने और विविधता से भरे इस विशाल देश में वित्तीय शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कार्यनीतिक उद्देश्यों को संशोधित किया गया है।

कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. वित्तीय शिक्षण के माध्यम से आबादी के विभिन्न वर्गों को वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को आत्मसात करने एवं उसे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए प्रेरित करना
ii. सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना
iii. वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना
iv. क्रेडिट अनुशासन विकसित करना और आवश्यकतानुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना
v. सुरक्षित और संरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना
vi. प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना

vii. उपयुक्त पेंशन उत्पादों के कवरेज के माध्यम से वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति की योजना

viii. अधिकारों, कर्तव्यों और शिकायत निवारण के लिए माध्यमों के बारे में जानकारी

ix. वित्तीय शिक्षण में प्रगति का आंकलन करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार

4.4 ग्रैन्युलैरिटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा वित्तीय शिक्षण हेतु सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण से हमे वांछित सफलता न मिलने की सीख के आधार पर, कार्यनीतिक उद्देश्यों को निम्नलिखित आयामों के माध्यम से प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है:

क्रं.सं.	**आयाम**	**संक्षिप्त विवरण**
1	लक्ष्य श्रोता का जीवन स्तर	बच्चे, युवा वयस्क, कार्यस्थल के वयस्क, वरिष्ठ नागरिक-महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करना
2	असुरक्षित सामाजिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वृहत भू-भाग	असुरक्षित सामाजिक समूहों, प्रवासियों, निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्रामीण, शहरी (शहरी गरीबों और प्रवासियों पर ध्यान देने के साथ), आकांक्षी जिले, एलडब्लूई, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), पहाड़ी राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप
3	क्षेत्र विशिष्ट फोकस	कृषि, विनिर्माण (एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत कुशल / अकुशल श्रमिक / कारीगर, स्वयं सहायता समूह के सदस्य), स्व-नियोजित / असंगठित क्षेत्र

4.5 वित्तीय शिक्षण के प्रसार हेतु प्रासंगिक **सामग्री** (स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पाठ्यक्रम सहित) के विकास, वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच **क्षमता** का विकास, उपयुक्त **संचार** कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए **सामुदायिक** नेतृत्व वाले मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाने, और अंत में विभिन्न हितधारकों के बीच **सहयोग** बढ़ाने पर बल देने के साथ '**5 सी' दृष्टिकोण** को अपनाया जा सकता है।

आकृति 1: एनएसएफई के कार्यनीतिक उद्देश्य और विजन (2020-2025)

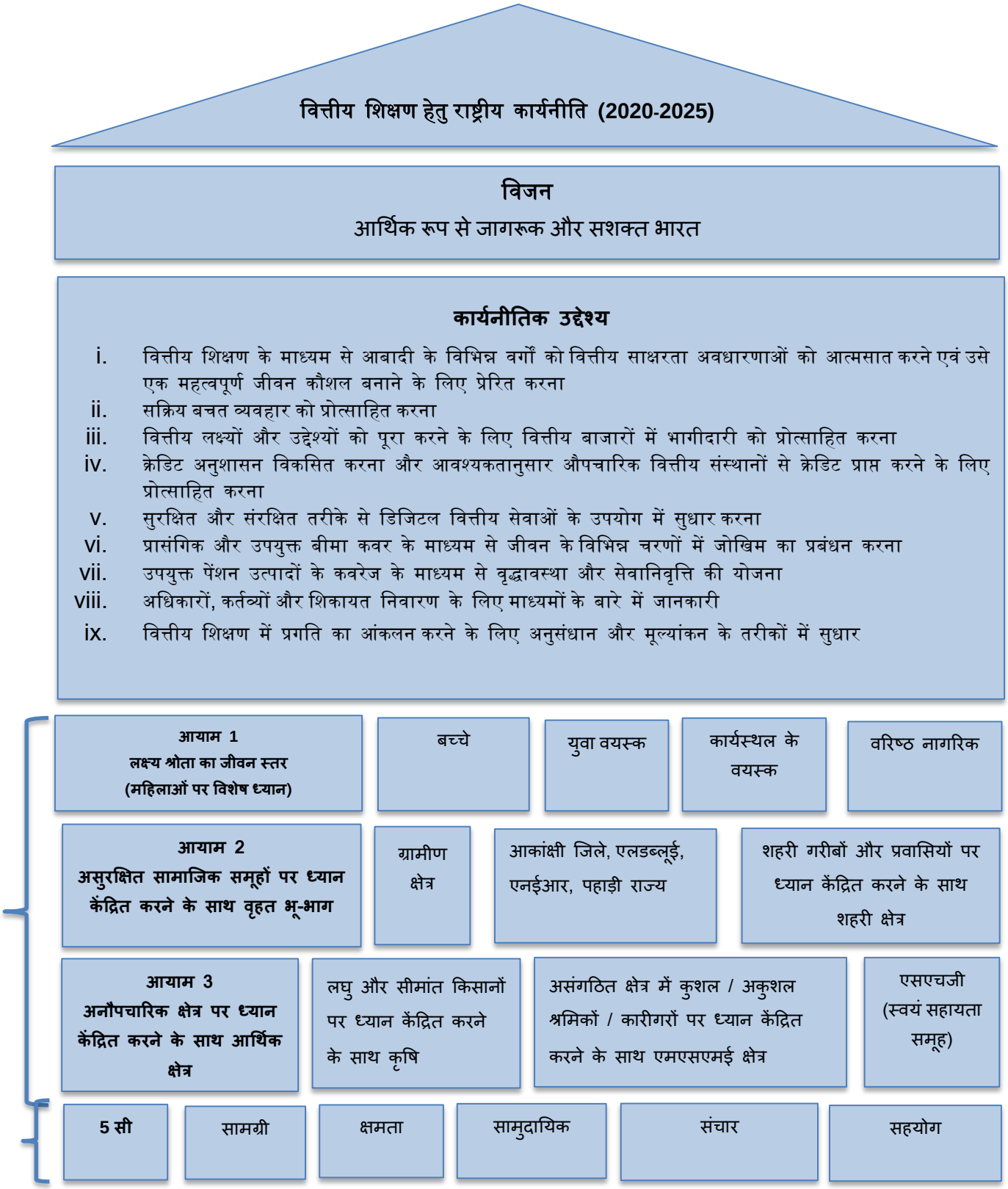

अध्याय 5 : नीति निर्माण

5.1 वित्तीय शिक्षण के घटक

5.1.1 बुनियादी वित्तीय शिक्षण

बुनियादी वित्तीय शिक्षण में वित्तीय खुशहाली के मूलभूत सिद्धांत शामिल है[6]। मुद्रा योजना के अलावा एपीवाई, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के साथ सरकार की पीएमजेडीवाई योजना आरंभ होने से कई लोगों को पहले ही इसमें शामिल किया जा चुका है। उन्हें वित्तीय शिक्षण की भी आवश्यकता पड़ेगी ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। इन बुनियादी अवधारणाओं को, जो कि लक्षित श्रोताओं के लिए उपयुक्त हो, वितरण के विभिन्न माध्यमों से सभी को सूचित किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से अपवर्जित और खातों का परिचालन न करने वाले नए लोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बुनियादी वित्तीय शिक्षण, क्षेत्र-विशिष्ट और प्रक्रिया शिक्षा के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती है।

5.1.2 क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय शिक्षण

वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय शिक्षण प्रदान की जा रही है और वित्तीय सेवाओं के "क्या" तथा सामग्री में 'क्या करें एवं क्या न करें' से संबंधित जागरूकता को कवर करने, 'अधिकार और जिम्मेदारियां', 'डिजिटल वित्तीय सेवाओं का सुरक्षित उपयोग' और 'शिकायत निवारण' प्राधिकरण से संपर्क, पर केंद्रित है।

बुनियादी और क्षेत्र विशिष्ट शिक्षण किसी व्यक्ति को अधिक विवेकपूर्ण होने के लिए सशक्त बनाएगी तथा उपलब्ध विकल्पों में से उनके आवश्यकतानुसार उपयुक्त वित्तीय उत्पादों के चयन हेतु सटीक निर्णय लेने में मदद करेगी।

---

[6]अवधारणाओं में, (क) बचत के महत्व और फायदे, (ख) अनुत्पादक ऋणों से दूर रहना, (ग) जरूरत और क्षमता के अनुसार औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उधार लेना, (घ) ब्याज दर और चक्रवृद्धि की शक्ति, (ड़) मुद्रा का आवधिक मूल्य, (च) मुद्रास्फीति, (छ) बीमा करने की आवश्यकता, (ज) वृद्धावस्था आय के लिए योजना बनाने की आवश्यकता, (झ) मंत्रालयों, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों और बीमा कंपनियों जैसे प्रमुख वित्तीय क्षेत्र से संबंधित संस्थानों की भूमिका, और (ञ) जोखिम और प्रतिफल के बीच के संबंध के बारे में बुनियादी अवधारणाएं, (ट) शिकायत निवारण, शामिल हैं।

5.1.3 प्रक्रिया शिक्षण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ज्ञान, व्यवहार में परिवर्तित हो, प्रक्रिया शिक्षण महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ, सम्मिलित किए जाने वाले कुछ पहलुएं निम्नानुसार हैं:

- एटीएम कार्ड का उपयोग कैसे करें?
- यूपीआई लेनदेन कैसे करें?
- बीसी के साथ पैसे कैसे जमा करें?
- ऋण आवेदन पत्र कैसे भरें?
- एक उपयुक्त ऋण उत्पाद की तुलना और चयन कैसे करें?
- बीमा कवर कैसे खरीदें?
- प्रतिभूति बाजारों में विभिन्न लेनदेन कैसे करें?
- पेंशन योजना में फंड कैसे आवंटित करें?
- वित्तीय सेवा प्रदाता के समक्ष शिकायत कैसे दर्ज करें?
- लोकपाल / शिकायत निवारण प्राधिकरण, आदि से कैसे संपर्क करें?

इन सामग्रियों को आसानी से समझ में आ जानेवाले ऑडियो / वीडियो, एनिमेटेड पोस्टरों के रूप में विकसित किया जाना है ताकि उपभोक्ताओं को विभिन्न लेनदेनों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिल सके। (उदाहरण के लिए, एटीएम का उपयोग करने के बारे में एटीएम मशीन में प्रदर्शित एक छोटा वीडियो, ग्राहक के लिए सेवा का लाभ उठाने में मददगार साबित होगा)

5.2 वित्तीय शिक्षण हेतु वितरण चैनल

वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार हेतु पहले से मौजूद वितरण चैनलों के अलावा, वितरण माध्यमों के नए प्रकार जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सामुदायिक रेडियो, प्रौद्योगिकी कियोस्क, चैटबॉटसेट आदि को प्रभावी ढंग से स्थापित किया जा सकता है।

अध्याय 6: कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना

6.1 प्रासंगिक **सामग्री** के विकास, वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच **क्षमता** का विकास, विभिन्न हितधारकों के बीच **सहयोग** बढ़ाने के द्वारा उपयुक्त **संचार** कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए **सामुदायिक** नेतृत्व वाले मॉडल की सुविधाजनक भूमिका का लाभ उठाने पर बल देकर, **5-सी' दृष्टिकोण / 5-मुख्य कार्रवाई** को अपनाया जा सकता है।

नीचे दिये गए प्रत्येक मुख्य कार्रवाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है-

6.1.1 सामग्री

- स्कूली बच्चों (पाठ्यक्रम और सह-शैक्षिक सहित), शिक्षकों, युवा व्यस्कों, महिलाओं, कार्यस्थल पर आए नए लोगो/ उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निरक्षर व्यक्तियों, आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री।

6.1.2 क्षमता

- ऐसे विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं के क्षमता को विकसित करना जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु शामिल किए जा सकें
- वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए एक 'आचार संहिता' विकसित करना

6.1.3 सामुदायिक

- धारणीय रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु सामुदायिक नेतृत्व दृष्टिकोण का निर्माण

6.1.4 संचार

- वित्तीय शिक्षण संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, जन मीडिया चैनलों और संचार के नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करना
- बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि की पहचान करना
- वित्तीय साक्षरता संदेशों के सार्थक प्रसार के लिए अधिक विजिबिलिटी (जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आदि) वाले सार्वजनिक स्थलों का लाभ लिया जाना

6.1.5 सहयोग

- एक सूचना डैशबोर्ड का निर्माण।

- स्कूली पाठ्यक्रम, बी.एड./एम.एड. कार्यक्रमों की तरह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीएवंई) द्वारा अपने क्षेत्र कौशल मिशनों के माध्यम से कराये जा रहे विभिन्न पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वित्तीय शिक्षण सामग्री को एकीकृत करना
- विभिन्न ऑन-गोइंग कार्यक्रमों के भाग के रूप में वित्तीय शिक्षण प्रसार को एकीकृत करना
- वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना

6.2 विस्तृत कार्यान्वयन योजना के साथ कार्यनीतिक लक्ष्य एवं माइलस्टोन की जानकारी निम्नलिखित पृष्ठों में प्रस्तुत है-

एनएसएफई के लिए कार्य-योजना (2020-2025)

5 सी	क्र सं	कार्यनीतिक लक्ष्य	कार्यान्वयन योजना	माइलस्टोन	के द्वारा कार्रवाई
सामग्री	1	स्कूली बच्चों (पाठ्यक्रम और सह-शैक्षिक सहित), शिक्षकों, युवा व्यस्कों, महिलाओं, कार्यस्थल पर आए नए लोगो/ उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, निरक्षर व्यक्तियों, आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री का निर्माण	विशिष्ट लक्ष्य ऑडियंस ओरिएंटेशन (जैसे शिक्षक, स्कूली बच्चे, युवा वयस्क, महिलाएं, कार्यस्थल पर आए नए लोगो / वयस्क उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, निरक्षर व्यक्तियों, आदि) के साथ ऐसे सामग्री का निर्माण करना जिसे ऑडियो-वीडियो, प्रिंट, जन मीडिया, डिजिटल प्रारूप आदि के माध्यम से प्रसारित किया जा सके। सामग्री में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय सेवाएं शामिल होंगी, जिसे बेहतर पहुंच को बढ़ावा देने और लक्ष्य श्रोताओं के बीच अपनेपन के साथ अपनाए जाने के लिए स्थानीय वाक्यांशों / बोलियों के सक्रिय समावेश के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए।	मार्च 2021	एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक, सिडबी और नाबार्ड
			छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षण सामग्री को अद्यतन करना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) आदि के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री को सुलभ बनाना	मार्च 2021	एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और एमएसजेएवंई

			व्यावसायिक शिक्षा (आईटीआई / पॉली-तकनीकी पाठ्यक्रम आदि) के अभिन्न अंग के रूप में वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने और सह-शैक्षिक दृष्टिकोण के माध्यम से उच्च कक्षाओं (कक्षा XI-XII) के छात्रों के बीच वित्तीय जागरूकता के लिए सामग्री का निर्माण करना	मार्च 2022	एनसीएफई, एमएसडीएवंई और एमएचआरडी
क्षमता	1	ऐसे विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं के क्षमता को विकसित करना जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु शामिल किए जा सकें	वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण साधन बनने के लिए एफएलसी काउंसलर्स, सेबी के रिसोर्स पर्सन, ग्रामीण शाखा प्रबंधक आदि के क्षमता को विकसित करना	मार्च 2022	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			वित्तीय क्षेत्र के नवीनतम घटनाओं के बारे में एनआरएलएम के मास्टर प्रशिक्षकों को अद्यतन करने के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी सक्षमता में सुधार करना	मार्च 2022	एनसीएफई, एमओआरडी और नाबार्ड
			एसएचजी नेतृत्वकर्ताओं, बैंक सखियों की क्षमता को मजबूत करना जो कि वित्तीय साक्षरता के प्रसार में मदद कर सकें	मार्च 2022	एनसीएफई, नाबार्ड, एमओआरडी, आरबीआई और सेबी
			माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों (कक्षा VI-X) की क्षमता को मजबूत करना जो कि वित्तीय साक्षरता सामग्री का प्रसार कर सकें	मार्च 2022	एनसीएफई और एमएचआरडी
	2	वित्तीय शिक्षण प्रदाताओं के लिए एक आचार संहिता का निर्माण करना	वित्तीय शिक्षण प्रदाताओं के लिए एक स्वैच्छिक आचार संहिता विकसित की जाए	मार्च 2021	वित्तीय क्षेत्र के सभी

					विनियामकऔर एनसीएफई
सामुदायिक	1	धारणीय रूप से वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु सामुदायिक नेतृत्व दृष्टिकोण का निर्माण	वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु एजेंट बनने के लिए स्वयंसेवकों, स्थानीय एसएचजी, फील्ड स्तर के अधिकारियों, शिक्षकों और सामुदायिक दूतों को प्रोत्साहित करने हेतु सामुदायिक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को विकसित करना	मार्च 2021	एनसीएफई, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड और राज्य सरकारें
			औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाताओं, बीसी, सीएफएल, एफएलसी, आदि से संपर्क करने के लिए लोगों को जुटाने हेतु एजेंट बनने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, पोस्ट मेन आदि की सेवाओं का उपयोग करना	मार्च 2023	एनसीएफई, आईपीपीबी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
			सामुदायिक नेतृत्व दृष्टिकोण के अंतर्गत लक्षित अभियानों के माध्यम से देश के अंडरबैंक जिलों और आकांक्षी जिलों में वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम (एफईपीए) आयोजित करना	मार्च 2022	एनसीएफई, पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारें
संचार	1	वित्तीय शिक्षण संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, जन मीडिया चैनलों और संचार के	वित्तीय साक्षरता संदेशों को वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के वेबसाइट पर किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			एक वित्तीय साक्षरता मोबाइल ऐप विकसित करना	मार्च 2021	एनसीएफई

		नवोन्मेषी तरीकों का उपयोग करना	शिकायतों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए एक सामान्य टोल-फ्री नंबर विकसित करना	मार्च 2022	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया, डिजिटल कियोस्क का लाभ लिया जाना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			वित्तीय शिक्षण पर आम उपभोक्ता प्रश्नों के उत्तर हेतु चैटबॉट्स के विकास का अन्वेषण करना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
	2	बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रसारित करने के लिए वर्ष में एक विशिष्ट अवधि की पहचान करना	वर्तमान में आरबीआई द्वारा संचालित किए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह की तर्ज पर वर्ष के दौरान एक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करना	मार्च 2021	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
			जनता में केंद्रित जागरूकता लाने के लिए वर्ष में एक बार डिजिटल वित्तीय सेवा दिवस मनाया जाना	मार्च 2021	एमईआईटीवाई, एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक
	3	वित्तीय साक्षरता संदेशों के सार्थक प्रसार के लिए अधिक विजिबिलिटी (जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आदि) वाले सार्वजनिक स्थलों का लाभ लिया जाना	अधिक विजिबिलिटी वाले विशिष्ट सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, अस्पताल, ग्राम पंचायत कार्यालय, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), बसों और ट्रेनों, आदि, पर प्रासंगिक वित्तीय साक्षरता संदेश प्रदर्शित करना	मार्च 2023	एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और सीएसआर गतिविधि संचालित करने वाले कॉरपोरेट्स

सहयोग	1	एक सूचना डैशबोर्ड का निर्माण	विभिन्न हितधारकों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के विवरण से युक्त एक डिजिटल रिपोजिटरी तैयार करना जो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों पर एक सूचना डैशबोर्ड होगा।	मार्च 2021	एनसीएफई
	2	स्कूली पाठ्यक्रम, विभिन्न पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (बी.एड./एम.एड. कार्यक्रमों की तरह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीएवंई) द्वारा अपने क्षेत्र कौशल मिशनों के माध्यम से आयोजित) में वित्तीय शिक्षा सामग्री को एकीकृत करना	वित्तीय रूप से शिक्षित शिक्षण पेशेवरों का एक कैडर तैयार करने के लिए अन्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा बी.एड./एम.एड जैसे पाठ्यक्रमों में वित्तीय शिक्षा को एकीकृत करना	मार्च 2023	एनसीएफई और यूजीसी / एमओएचआरडी
			एमएसडीएवंई द्वारा अपने क्षेत्र कौशल मिशनों के माध्यम से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल को एकीकृत करना	मार्च 2025	एनसीएफई, वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामक और एमएसडीएवंई
			छठी से दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को एकीकृत करना	मार्च 2022	एनसीएफई, एमएचआरडी, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) और राज्य सरकारें
	3	विभिन्न ऑन-गोइंग कार्यक्रमों के भाग के रूप	वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों के लिए वित्तीय शिक्षण का वितरण	मार्च 2022	एनसीएफई

		में वित्तीय शिक्षा प्रसार को एकीकृत करना			
	4	वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना	एनसीएफई को वित्तीय शिक्षण प्रदान करने में शामिल सरकारी निकायों के बीच कार्यनीतिक साझेदारी के बारे में अन्वेषण करना है	मार्च 2021	एनसीएफई
			उद्योग संघों, स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) और वित्तीय क्षेत्र के अन्य मध्यस्थों (जैसे आईबीए, एफईडीएआई, एएमएफआई, बीसीएफआई, एमएफआईएन आदि) को वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु भूमिका सौंपी जाए।	मार्च 2022	एनसीएफई और वित्तीय क्षेत्र के विनियामक

उपरोक्त कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से हस्तक्षेप हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

आकृति 2: संस्थागत व्यवस्था प्रवाह चार्ट और प्रत्येक हितधारक की जिम्मेदारियां

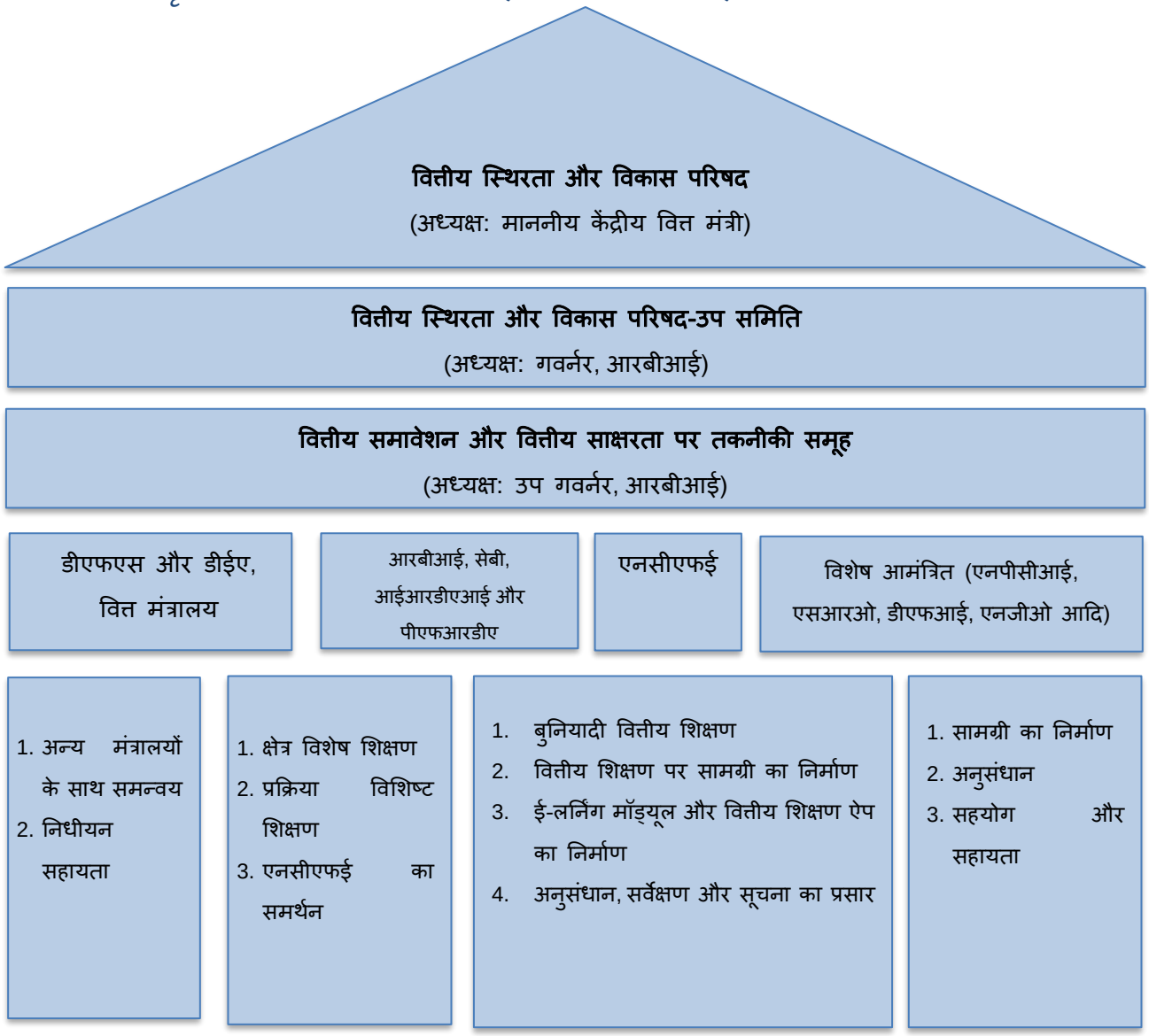

6.3 पिछली कार्यनीति के अनुरूप, वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति (2020-2025) के पूरे भाग को संस्थागत प्रणाली, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, के माध्यम से लागू किए जाने की आवश्यकता है। एफएसडीसी (अध्यक्ष: माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री) की निगरानी के अलावा, कार्यनीति के कार्यान्वयन की निगरानी सीधे वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) (अध्यक्ष: उप गवर्नर, आरबीआई) द्वारा की जाएगी।

6.4 चूंकि वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति के कार्यान्वयन के बाद से वृहद स्तर पर वित्तीय संसाधनों और श्रमशक्ति के आवंटन एवं तैनाती की आवश्यकता होगी, अतः सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय विनियामकों के स्तर पर भी पर्याप्त आयोजना की आवश्यकता

होगी। वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों, उनके संबंधित विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों को चाहिए कि वे इस हेतु आवश्यक प्रावधान करें।

6.5 **राष्ट्रीय कार्यनीति में प्रमुख हितधारकों की पहचान :** कार्यनीतिक लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित हितधारकों की पहचान की गई है। सूची उदाहरणार्थ है, परिपूर्ण नहीं।

i. भारत सरकार: वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी कार्य और गरीबी उपशमन मंत्रालय / राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
ii. वित्तीय क्षेत्र के विनियामक: आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए
iii. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई)
iv. विकास वित्त संस्थान: नाबार्ड और सिडबी
v. उद्योग संघ: आईबीए, एएमएफआई, एफईडीएआई, बीसीएफआई
vi. प्रतिभूति बाजार संस्थागत इन्फ्रास्ट्रक्चर: स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी
vii. भुगतान संस्थान: एनपीसीआई
viii. निवेशक शिक्षण संस्थान: आईईपीएफए, आईआईसीए, आदि
ix. वित्तीय सेवा प्रदाता: बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां, पेंशन फंड, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, फिन-टेक कंपनियां, आदि
x. स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ): एफआईडीसी, एम-फिन, सा-धन, आदि
xi. सभी राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)
xii. गैर सरकारी संगठन / सिविल सोसायटी संगठन
xiii. अनुसंधान संस्थान
xiv. उपभोक्ता संघ
xv. मल्टी-लेटरल इंस्टिट्यूशन (ओईसीडी-आईएनएफई, जी20, आदि): वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान साझा करने हेतु

बॉक्स आइटम 3: वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और सिविल सोसायटी

वित्तीय समावेशन में सुधार हेतु पीएमजेडीवाई और पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई (सूक्ष्म-बीमा), पीएमजेडीवाई (सूक्ष्म-ऋण) का ओवर-ड्राफ्ट (ओडी) और मुद्रा योजना (एमएसएमई / गैर-कृषि ऋण) तथा एपीवाई (सूक्ष्म पेंशन), सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिससे एक समतामूलक समाज का निर्माण होता है। यह सर्वविदित है कि वित्तीय समावेशन प्रयासों के माध्यम से खोले गए खातों का उपयोग लोगों द्वारा उनके लिए प्रासंगिक उत्पादों / सेवाओं का लाभ उठाकर किया जा रहा है, को सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय साक्षरता एक प्रमुख साधन है। वित्तीय साक्षरता में व्याप्त अंतर को पाटने के लिए, विभिन्न हितधारकों के बीच उनकी व्यक्तिगत मुख्य सक्षमताओं के आधार पर कार्यनीतिक साझेदारी का अन्वेषण किए जाने की नितांत आवश्यकता है। इस मामले में प्रौद्योगिकी कंपनियों (फिन-टेक) और लोकोपकारी संगठनों / सिविल सोसाइटी के बीच संभावित सहयोग की आवश्यकता है, जो विभिन्न लक्षित श्रोताओं (उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों, आकांक्षी जिलों में युवाओं और एलडब्लूई जिलों में महिलाओं) के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु अपने प्रयासों में तालमेल बिठा सकें। हालांकि इस सामग्री के व्यापक रूप को प्रमुखता से प्रसारित किया जा सकता है, परंतु स्थानीय एनजीओ, जिन्हें समुदायों की जमीनी वास्तविकताओं का अच्छा ज्ञान होता है, इसे अनुकूलित कर सकते हैं और इसे लक्षित श्रोताओं के लिए प्रासंगिक बना कर स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इसका प्रसार कर सकते हैं। वर्तमान में, इस तरह की प्रक्रियाओं को कुछ संगठनों द्वारा अपनाया जा रहा है तथा देश भर में वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर सक्षमता और प्रभावशीलता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रायोगिक सीएफएल परियोजना, एमईआईटीवाई का डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, एनसीएफई का मनी स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता के प्रसार को मजबूत करने हेतु समुदाय से हितधारकों को शामिल करने के कुछ उदाहरण हैं।

अध्याय 7: निगरानी और मूल्यांकन

7.1 यह सर्वविदित है कि किसी भी कार्यनीति का कार्यान्वयन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की कार्यनीति। वित्तीय क्षेत्र में हो रहे व्यापक और तेज बदलावों को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों को वित्तीय सेवाओं के विकास की गतिशील प्रकृति और वित्तीय साक्षरता के लिए आवश्यक सहवर्ती परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है। एक मजबूत और वैज्ञानिक आंकलन प्रणाली, नीति निर्माताओं को प्राथमिकताओं की पहचान करने और उनके हस्तक्षेप के प्रभाव का आंकलन करने में मदद हेतु एक लंबा रास्ता तय करेगा।

7.2 इस संबंध में कुछ व्यापक मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार है:

i. राष्ट्रीय कार्यनीति मूल्यांकन में कार्यान्वयन के तरीकों के अभिशासन, समन्वय और निगरानी प्रणाली का मूल्यांकन, हितधारकों की भूमिका और किसी भी संचार या प्रचार योजनाओं / पहलों का प्रभाव शामिल होगा।
ii. प्रत्येक हितधारक को कार्यनीति के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और एक स्पष्ट योजना बनाने की आवश्यकता होगी, जिसकी निगरानी गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के माध्यम से किया जा सके।
iii. वित्तीय क्षेत्र में व्यापक बदलावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चैनलों, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के लाभार्थियों और प्रसार में शामिल मध्यस्थों दोनों से, के माध्यम से प्रतिक्रिया एकत्र करने हेतु वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए टेम्पलेट को निर्मित करने और समय-समय पर उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।
iv. मूल्यांकन में शामिल चुनौतियों के मद्देनजर उपयुक्त मूल्यांकन पद्धतियों के चयन को अंतिम रूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

7.3 वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों के मूल्यांकन पर ओईसीडी-आईएनएफई द्वारा जारी नोट में यह सुझाया गया है कि नागरिकों की वित्तीय साक्षरता और वित्तीय व्यवहार पर प्रभाव के साक्ष्य का एक शक्तिशाली स्रोत होने के अलावा, दीर्घावधि के लिए वित्तीय शिक्षण नीतियों में सुधार करने और उनके स्थायित्व में योगदान देने के लिए मूल्यवान साक्ष्य प्रदान करने में जवाबदेही निर्धारित करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय कार्यनीति का मूल्यांकन आवश्यक है। दस्तावेज़, निगरानी (कार्यान्वयन प्रक्रिया की नियमित ट्रैकिंग की एक प्रक्रिया) और मूल्यांकन (यह समझने की एक व्यापक प्रक्रिया, कि राष्ट्रीय कार्यनीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे आगे बढ़ रही है) के बीच भी अंतर स्थापित करता है (ओईसीडी, 2019)।

निगरानी प्रणाली

7.4 वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) (अध्यक्ष: उप गवर्नर, आरबीआई), वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति के कार्यान्वयन और समय-समय पर उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे। बुनियादी, क्षेत्र विशिष्ट और प्रक्रिया साक्षरता के प्रसार के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई गतिविधियों की आवधिक निगरानी होगी। हितधारकों द्वारा किए गए विभिन्न वित्तीय साक्षरता गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक डिजिटल रिपॉजिटरी तैयार किया जाएगा। शुरुआत में, डिजिटल रिपॉजिटरी एनसीएफई के वित्तीय साक्षरता पहलों और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से संबंधित डेटा को एकत्र करेगा, तथा बाद में विकास वित्त संस्थानों (नाबार्ड और सिडबी), वित्तीय सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों से डेटा एकत्र करेगा। प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया और विश्लेषण के आधार पर, यह डिजिटल रिपॉजिटरी उन क्षेत्रों / भू-भागों की पहचान करने में मददगार होगी जहां अधिक वित्तीय शिक्षण हस्तक्षेप की आवश्यकता है और साथ ही हितधारकों द्वारा किए गए प्रयासों के दोहराव को रोकने में भी मददगार सिद्ध होगी।

मूल्यांकन प्रणाली

7.5 कार्यनीति का मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो यह आंकलन करने का प्रयास करती है कि राष्ट्रीय कार्यनीति कैसे मूल्यवर्धन करेगी और क्या यह अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है और निर्धारित किए गए उद्देश्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है (ओईसीडी, 2019)। उचित मूल्यांकन, कार्यनीति में किए जाने वाले वांछनीय परिवर्तन तथा अबतक जो परिवर्तन नहीं हुआ है, के संबंध में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीतियों की निगरानी के मूल्यांकन पर ओईसीडी-आईएनएफई द्वारा जारी नोट में कार्यनीति दस्तावेज में मूल्यांकन प्रक्रिया को एकीकृत करने के महत्व तथा अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि समय क्षितिज के मूल्यांकन में समन्वयक के सक्रिय रूप से संलग्न होने को सुनिश्चित करने तथा निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा के उपयोग और उसके विश्लेषण के संबंध में प्रकाश डाला गया है।

7.6 इसे ध्यान में रखते हुए, कार्यनीति के कार्यान्वयन (2022-2023) के तीन वर्ष के अंत में एक मध्यावधि मूल्यांकन संचालित किया जाएगा। कार्यनीति कार्यान्वयन की अवधि के अंत में एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 में संचालित किया जाएगा।

संदर्भ

1. (2003). एडवांसिंग नेशनल स्ट्रेटिजी फॉर फ़िनान्सिअल एडुकेशन, ओईसीडी और रूस की जी20 प्रेसीडेंसी का संयुक्त प्रकाशन।
2. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। (24 अक्तूबर 2019)। प्रगति रिपोर्ट-*पीएमजेडीवाई।* प्रधानमंत्री जन धन योजना से लिया गया। https://www.pmjdy.gov.in/account
3. एनसीएफई-एनआईएसएम. (2013). *भारत में वित्तीय साक्षरता और समावेशन - अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013.* मुंबई: एनसीएफई-एनआईएसएम।
4. ओईसीडी. (2005). *वित्तीय साक्षरता में सुधार: मुद्दों और नीतियों का विश्लेषण,* ओईसीडी प्रकाशन.
5. ओईसीडी. (2005). वित्तीय शिक्षण और जागरूकता के लिए सिद्धांतों और अच्छी प्रथाओं की सिफारिश। पेरिस: ओईसीडी।
6. ओईसीडी. (2012). वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति पर उच्च स्तरीय सिद्धांत।
7. ओईसीडी. (2015). वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति- ओईसीडी/*आईएनएफई नीति पुस्तिका।* पेरिस: ओईसीडी.
8. ओईसीडी. (2016). ओईसीडी/*आईएनएफई, वयस्क वित्तीय साक्षरता सक्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण।* पेरिस: ओईसीडी.
9. ओईसीडी. (2019). वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति *का मूल्यांकन।* पेरिस: ओईसीडी - *आईएनएफई.*
10. रंगराजन, डी. सी. (2008). वित्तीय समावेशन पर समिति। मुंबई : आरबीआई.
11. विश्व बैंक समूह। (2018). *ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस।* वाशिंगटन डी सी: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक / विश्व बैंक।

अनुबंध - हितधारकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल

क). एनसीएफई

एनसीएफई, सेमिनारों, वर्कशॉप, कॉनक्ले, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों, अभियानों, डिस्कसन फोरमों के जरिए खुद के द्वारा या संस्थानों, संगठनों की मदद से देश भर के लोगों के सभी वर्गों में वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण तैयार करता है तथा वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह वर्कबुक, वर्कशीट, साहित्य, पैम्फ्लेट्स, पुस्तिकाएं, फ्लायर, तकनीकी सहायता तैयार करता है। एनसीएफई वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु वित्तीय बाजारों और वित्तीय डिजिटल मोड पर लक्ष्य आधारित श्रोताओं के लिए उचित वित्तीय साहित्य तैयार करता है ताकि श्रोता वित्त संबंधी अपने ज्ञान, समझ, कौशल और सक्षमता में सुधार कर सकें।

बुनियादी वित्तीय शिक्षण: एनसीएफई वित्तीय शिक्षण कार्यक्रमों, जैसे एमएसएसपी (स्कूलों के लिए), स्कूल के शिक्षकों के लिए वित्तीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफईटीपी), एफएसीटी (स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए) और एफईपीए (वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम), के माध्यम से वित्तीय शिक्षण अभियान का संचालन कर रहा है।

क). मनी स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम (एमएसएसपी) एक शैक्षणिक वर्ष कार्यक्रम है, जहाँ स्कूल स्वैच्छिक रूप से स्कूली पाठ्यक्रम के भाग के रूप में वित्तीय शिक्षण को लागू करते हैं।

ख). स्कूली छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता के स्तर को मापने के लिए एनसीएफई- राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षण (एनएफएलएटी), राष्ट्रीय स्तर का पहला परीक्षण है जो एनसीएफई द्वारा आयोजित किया जाता है।

ग). एफईटीपी, स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करने की सुविधा के लिए स्कूल शिक्षकों को निष्पक्ष व्यक्तिगत वित्तीय शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने की एक पहल है। एनएफएलएटी की सफलता के बाद, वित्तीय शिक्षण के क्षेत्रों में स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता थी ताकि वे बारी-बारी से कक्षाएं संचालित कर सकें और स्कूल के छात्रों को बुनियादी वित्तीय साक्षरता कौशल प्राप्त करने में मदद कर सकें।

घ). एफएसीटी (वित्तीय जागरूकता और उपभोक्ता प्रशिक्षण), युवा स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों को उनके लिए आवश्यक प्रासांगित विषयों पर वित्तीय शिक्षण, जो उनके वित्तीय खुशहाली पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम है।

ङ). वयस्कों के लिए वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम (एफईपीए), एनसीएफई द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है। एफईपीए का उद्देश्य भारत के कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, में व्यस्कों को बुनियादी वित्तीय शिक्षण प्रदान करना है।

ख). आरबीआई

बुनियादी वित्तीय शिक्षण : आरबीआई ने बुनियादी वित्तीय शिक्षण हेतु निम्नलिखित सामग्री निर्धारित की है:
क. वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शिका, वित्तीय डायरी और आरबीआई द्वारा निर्मित 16 पोस्टरों का सेट
ख. वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगों के लिए एनसीएफई द्वारा विशेष शिविरों हेतु बुकलेट तैयार किया गया है जिसमें वित्तीय खुशहाली के मूलभूत सिद्धांतों, जैसे कि बचत, उधार, ब्याज और चक्रवृद्धि की अवधारणा, मुद्रा का आवधिक मूल्य, मुद्रास्फीति, जोखिम और लाभ के बीच के संबंध, को समाहित किया गया है।

क्षेत्र केंद्रित वित्तीय शिक्षण : इस सामग्री में बैंकिंग क्षेत्र के प्रासंगिक विषय जैसे एटीएम, भुगतान प्रणाली जैसे नेफ्ट, यूपीआई, यूएसएसडी, सचेत पोर्टल के बारे में जागरूकता, पोंजी योजनाओं से दूर रहने, झूठे ई-मेल/कॉल, केवाईसी, ऋण अनुशासन अभ्यास, व्यवसाय प्रतिनिधियों, आदि, को शामिल किया गया है। आम जनता के लिए 20 संदेशों के साथ एक वित्तीय जागरूकता संदेश (एफएएमई) पुस्तिका और वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए वित्तीय साक्षरता पर पांच पोस्टरों को आरबीआई की वेबसाइट के वित्तीय शिक्षण वेबपेज पर उपलब्ध कराया गया है।

जन जागरूकता अभियान

- आरबीआई के ट्विटर हैंडल '@आरबीआई' पर महत्वपूर्ण प्रेस प्रकाशनी, विवरणों, विनियामक दिशानिर्देशों, भाषणों, स्पष्टीकरणों और आयोजनों को ट्वीट किया जाता है और आरबीआई के यूट्यूब लिंक पर वीडियो प्रसारित किए जाते हैं। बैंक के कार्यों के बारे में अधिक जागरूकता और समझ को विकसित करने के लिए एक अलग ट्विटर हैंडल '@आरबीआई सेज' और फेसबुक पेज 'आरबीआई सेज' पर संदेशों और हितों की जानकारी को प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक सोशल मीडिया पर लिमिटेड टू-वे संचार और सहभागिता की परिकल्पना करता है और अपनी सोशल मीडिया उपस्थिति की निगरानी करता है।
- पिछले कई वर्षों से, आरबीआई लगातार आउटरीच कार्यक्रमों, वित्तीय साक्षरता पहल, जन मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में उपस्थिती, आदि, के माध्यमों से आम जनता तक पहुँच रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक, 'जन जागरूकता अभियान', जिसका उद्देश्य बैंकिंग से संबंधित मामलों में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में आम जनता को शिक्षित करना है, के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों

से अपेक्षित सुविधाओं और सेवाओं के बारे में आम जनता को सूचित करके उन्हें सशक्त बना रहा है। यह अभियान नियमित रूप से 'आरबीआई कहता है' टैगलाइन के तहत समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, सिनेमा, डिजिटल चैनलों, एसएमएस और होर्डिंग्स के माध्यम से पूरा किया जाता है।

- वीडियो संदेशों के लिए, वर्तमान में, कुछ क्रिकेटर्स और बैडमिंटन खिलाड़ी जो भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी हैं और आईपीएल / पीबीएल की विभिन्न टीमों का हिस्सा हैं, का सहयोग लिया जा रहा है। इन वीडियो के संदेश कई स्तरों पर कार्य करते हैं। मुख्य संदेश के अलावा, वीडियो की कहानी दर्शकों के साथ तत्काल एक भावनात्मक जुड़ाव भी बनाती है और संवादात्मक पटकथा बैंक खाते से संबंधित दुरूह बातों जैसे शुष्क विषय में मानव दिलचस्पी को जीवंत बनाए रखने में मदद करती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का जन जागरूकता अभियान 2017 में शुरू हुआ और 2018 में इसमें गति आनी शुरू हुई। सामान्य बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, सीमित देयता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग में आसानी जैसे विज्ञापन लोकप्रिय कार्यक्रमों जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), 2018 फीफा विश्व कप, एशियन गेम्स, कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी), प्रो कबड्डी लीग, प्रो बैडमिंटन लीग और भारत-न्यूज़ीलैंड एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दिखाये गए हैं।
- बीएसबीडीए पर बनी एक फिल्म यह बताती है कि इस प्रकार के खाते खोलने से कैसे इसमें न्यूनतम शेष राशि रखने की आवश्यकता कम हो जाती है। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पर बनी एक फिल्म डिजिटल लेनदेन करते समय कार्ड और पिन विवरण साझा करने के बारे में जनता को सावधान करती है। सीमित देयता पर बनी एक अन्य फिल्म कार्ड धोखाधड़ी की स्थिति में उपलब्ध संशाधनों के बारे में बताती है। 'वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग में आसानी' पर बनी एक फिल्म में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध डोरस्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाओं के बारे में बताया गया है। क्रिकेटरों और बैडमिंटन खिलाड़ियों, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी हैं, का उपयोग करके बनाई गई इन फिल्मों को मीडिया विज्ञापनों में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।
- जन जागरूकता अभियान की एक अनूठी विशेषता मिस्ड कॉल सुविधा है: 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल देने पर, कॉल करने वाले को पहले से रिकॉर्ड किए गए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, जो कि एक कॉल सेंटर दृष्टिकोण के तहत गलत सूचना या अनावश्यक सूचना से बचाता है। गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में, मोबाइल फोन ग्राहकों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में संदेश मिलते हैं, ताकि आम जनता के साथ तत्काल जुड़ाव हो सके और सभी को इसमें शामिल किया जा सके।

ग. सेबी

बुनियादी वित्तीय शिक्षण : सेबी ने बुनियादी वित्तीय शिक्षण हेतु निम्नलिखित पहल की है:

क. आम जन को वित्तीय शिक्षण प्रदान करने के लिए रिसोर्स पर्सन कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय शिक्षण। सेबी द्वारा पात्र व्यक्तियों, जो स्थानीय भाषा में मुफ्त कार्यशालाएं आयोजित कर सकें, को प्रशिक्षित कर उन्हें आरपी (जिलों में) के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है तथा उन्हें कार्यशाला आयोजित करने पर मानदेय का भुगतान भी किया जाता है। वित्त, बैंकिंग, बीमा, पेंशन और निवेश की बुनियादी अवधारणाओं को पांच लक्षित समूहों (अर्थात होम मेकर्स, स्वयं सहायता समूह, एक्जीक्यूटिव, मध्य आय समूह, सेवानिवृत्त कर्मी) के लिए निर्मित सामग्री में शामिल किया गया है। कार्यशालाओं के दौरान, नि:शुल्क वित्तीय शिक्षण पुस्तिकाएं वितरित की जाती है।

ख. छात्रों द्वारा सेबी का दौरा

ग. वित्तीय शिक्षण पुस्तिका में वित्तीय योजना, बचत, निवेश, बीमा, पेंशन, उधार, कर बचत, पोंजी योजनाओं के प्रति सावधानी, शिकायत निवारण आदि, जैसी अवधारणाओं की मूल बातें को समाहित किया गया है।

क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय शिक्षण: सेबी ने क्षेत्र केंद्रित वित्तीय शिक्षण के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

क. सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त निवेशक संघों द्वारा निवेशक जागरूकता कार्यक्रम

ख. एक्सचेंज / डिपॉजिटरी के सहयोग से क्षेत्रीय सेमिनार

ग. सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्रशिक्षकों द्वारा कमोडिटी जागरूकता कार्यक्रम

उपरोक्त के अलावा, सेबी ने निम्नलिखित पहलें भी की है:

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के सहयोग से विश्व निवेशक सप्ताह में भागीदारी:** निवेशक संरक्षण और शिक्षण जागरूकता गतिविधियों के संचालन की दिशा में विभिन्न वित्तीय बाजार विनियामकों द्वारा की गई पहलों को उजागर करने के उद्देश्य से, आईओएससीओ प्रति वर्ष एक सप्ताह की अवधि के लिए वैश्विक अभियान आयोजित करता है जिसे विश्व निवेशक सप्ताह (डब्लूआईडब्लू) कहा जाता है। सेबी ने देशभर में इस सप्ताह के दौरान विभिन्न वित्तीय साक्षरता और निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हुये आईओएससीओ डब्लूआईडब्लू में सहभागिता की।

- **समर्पित निवेशक वेबसाइट:** निवेशकों के लाभ के लिए एक समर्पित वेबसाइट http://investor.sebi.gov.in का रखरखाव किया जाता है। यह वेबसाइट प्रासंगिक शैक्षिक / जागरूकता सामग्री और अन्य उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, निवेशकों की जानकारी के लिए विभिन्न निवेशक और वित्तीय शिक्षण कार्यक्रमों की सूची भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

- **जन मीडिया अभियान:** लोगों तक पहुंचने के लिए, सेबी ने लोकप्रिय मीडिया के माध्यम से निवेशकों को प्रासंगिक संदेश देते हुए एक जन मीडिया अभियान की शुरुआत की है। वर्ष 2012 से, सेबी ने निम्नलिखित विषयों पर मल्टी मास मीडिया (टीवी / रेडियो / प्रिंट / बल्क एसएमएस) में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए हैं:

  • निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली
  • सामूहिक निवेश योजना - अवास्तविक प्रतिलाभ।
  • सामूहिक निवेश योजना - अफ़वाहों के झांसे में न आना।
  • अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) - प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ।
  • डब्बा ट्रेडिंग
  • हॉट टिप्स के प्रति सावधानी

  इसके अतिरिक्त, ऊपर सूचीबद्ध सावधानी संदेशों पर बनाए पोस्टरों को विभिन्न भाषाओं में मुद्रित किया गया था और विभिन्न भाषाओं में जिला कलेक्टरों, पंचायत कार्यालयों आदि, को वितरित किए गए थे।

- **निवेशक शिकायत निवारण:** सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करने के लिए कई विनियामक उपाय किए हैं। निवेशकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित सूचीबद्ध कंपनी या मध्यस्थ के समक्ष उठाया जाता है और उसपर निरंतर निगरानी की जाती है। सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (एससीओआरईएस) निवेशकों को उनकी शिकायतों की स्थिति हेतु वास्तविक समय में जानकारी देते हैं क्योंकि निवेशक किसी भी समय और कहीं से भी शिकायत दर्ज करने के समय उन्हें प्रदान किए गए यूजर-नेम और पासवर्ड की मदद से एससीओआरईएस पर लॉग इन कर सकते हैं और अपने शिकायतों की स्थिति की जांच कर सकते हैं।

- **सेबी टोल फ्री हेल्पलाइन:** सेबी ने 30 दिसंबर 2011 को एक टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा संख्या 1800 22 7575/1800 266 7575 की शुरुआत की थी। यह हेल्पलाइन सेवा प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (महाराष्ट्र में घोषित सार्वजनिक अवकाश के अलावा) पूरे भारत के निवेशकों के लिए उपलब्ध है। यह हेल्पलाइन सेवा अंग्रेजी, हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।

घ. आईआरडीएआई

अपनी स्थापना के बाद से ही, आईआरडीएआई ने वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में कई पहल की हैं। टेलीविजन और रेडियो पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और पॉलिसीधारकों के अधिकारों और कर्तव्यों, विवाद निवारण के लिए उपलब्ध चैनलों आदि के बारे में सरल संदेश को निरंतर अभियानों के द्वारा टेलीविजन और रेडियो के साथ-साथ प्रिंट मीडिया के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी और 11 अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया गया है।

आईआरडीएआई ने बीमा जागरूकता सृजित करने की अपनी कार्यनीति में सुधार के लिए एनसीएईआर के माध्यम से बीमा के बारे में जागरूकता स्तर पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण संचालित किया है। आईआरडीएआई ने बीमा पहुँच और जागरूकता बढ़ाने के अपने अभियानों की प्रभावशीलता को मापने के लिए एक पोस्ट लॉन्च सर्वेक्षण का आयोजन भी किया था। आईआरडीएआई ने 'पॉलिसीहोल्डर हैंडबुक' के प्रकाशनों के साथ-साथ बीमा पर एक कॉमिक बुक श्रृंखला भी प्रकाशित की है। पॉलिसीधारकों तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए बीमा पर उपभोक्ता शिक्षण हेतु एक समर्पित वेबसाइट की शुरुआत की गई थी। आईआरडीएआई का एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) देश भर में शिकायतों का एक केंद्रीय रिपॉजिटरी सृजित करता है और बीमा पॉलिसीधारक के लिए चिंताजनक क्षेत्रों के डेटा सूचक का विभिन्न विश्लेषण उपलब्ध करता है।

आईआरडीएआई द्वारा संचालित की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार प्रस्तुत है:

- सेमिनार, जागरूकता अभियान, मेट्रो रेल अभियान, क्विज़, आदि का आयोजन।
- पॉलिसीधारकों की वेबसाइट पर एक इंटरैक्टिव सिक्स गेम फीचर 'यंग कार्नर' लॉन्च किया गया था। वेबसाइट की पहुंच को बढ़ाने के लिए उसके हिंदी संस्करण को भी लॉन्च किया गया था।
- आम जनता को जाली कॉलर्स और संदेहास्पद प्रस्तावों के बारे में सतर्क करते हुए प्रिंट अभियान चलाया गया। 12 स्थानीय भाषाओं में बीमा कॉमिक पुस्तकें जारी की गईं।
- बीमा पर पुस्तिकायें, जैसे छात्रों के लिए बीमा में रोजगार के अवसर, फसल बीमा, सही खरीद आदि, जारी की गई थी।
- पांच क्षेत्रीय भाषाओं में बीमा के विभिन्न रूपों की उपयोगिता और लाभों पर टीवी विज्ञापनों और रेडियो जिंगल्स के माध्यम से जाली कॉलर्स के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया गया।

ङ. पीएफआरडीए

पीएफआरडीए ने 2018 में एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम "पेंशन संचय"है। इस वेबसाइट के माध्यम से, पीएफआरडीए का उद्देश्य सेवानिवृत्ति योजना के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता को संबोधित करना है। वेबसाइट की सामग्री को वित्तीय निर्णय लेने में चार सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं, अर्थात ब्याज दरों, चक्रवृद्धि ब्याज, मुद्रास्फीति और जोखिम विविधीकरण का ज्ञान, को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। वेबसाइट में अलग से एक ब्लॉग सेगमेंट हैं, जहां वित्तीय क्षेत्रों के पेशेवरों और प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा लिखे गए ब्लॉग को उपलब्ध कराया जाता है, जो वित्त, बैंकिंग और निवेश की बुनियादी बातों के बारे में सार्थक जानकारी प्रदान करता है।

पीएफआरडीए पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने केंद्रीय रिकॉर्ड किपिंग एजेंसियों के माध्यम से ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। इसके अलावा, पीएफआरडीए ने एनपीएस और एपीवाई के बारे में ग्राहकों की जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित प्रशिक्षण एजेंसी को भी सूचीबद्ध किया है। उपरोक्त के अलावा, पीएफआरडीए**,** एनपीएस ट्रस्ट और एन्युइटी सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करके एन्युइटी साक्षरता कार्यक्रम का भी आयोजन करता है, जो ग्राहकों को उनके लिए उपलब्ध विभिन्न एन्युइटी के बारे में जागरूक करता है।

च. नाबार्ड

- ग्रामीण जनता के बीच हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में विभिन्न माध्यमों से वित्तीय जागरूकता सृजित करना। (वित्तीय साक्षरता पहल पर सामग्री, जैसे लिफलेट, पोस्टर, किताबें / पुस्तिकाएं, मुद्रित की गई; वित्तीय समावेशन से संबंधित जिंगल, जैसे बैंक खाते खोलना, एसचजी बचत, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, आदि का प्रसारण किया गया, और ऋण, बजट एवं एटीएम के उपयोग पर आधारित एनिमेटेड फिल्मों को नाबार्ड की वेबसाइट के साथ-साथ यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया)
- डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों पर ग्रामीण जनता के लिए वित्तीय शिक्षण के अलावा वित्तीय प्रणाली में शामिल नए लोगो, व्यस्कों, किसानों, स्कूली बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को लक्ष्य करके वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम (एफएलएपी) संचालित किया जाता है।
- डिजिटल लेनदेनों के संचालन के लिए हैंडहोल्डिंग तथा माइक्रो-एटीएम, एटीएम, ऑडियो-वीडियो उपकरण से लैस मोबाइल डेमो वैन के साथ एफएएलपी का संचालन (नया बिंदु)

- बीआईआरडी के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के प्रभावी वितरण के लिए वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और आरसीबी के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण पहल, तथा एटीएम और / या माइक्रो-एटीएम से लैस मोबाइल प्रदर्शन वैन की तैनाती के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) द्वारा वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना
- आजीविका प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण उपकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) / ग्रामीण विकास और स्वनियोजित प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआई) को समर्थन प्रदान करना।
- वित्तीय साक्षरता के प्रभावी वितरण के लिए वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और आरसीबी के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने हेतु क्षमता निर्माण पहल।
- बैंकों के बीसी / बीएफ के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

नाबार्ड ने बैंकों (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरसीबी, आरआरबी) को सूचित किया है कि वे उनकी शाखाओं और एफएलसी द्वारा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता शिविरों के लिए एफआईएफ से सहायता प्राप्त करने हेतु राज्यवार तिमाही योजना का निर्माण करें। इन योजनाओं में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और एफआई पर एसएलबीसी उप समिति में की गई चर्चा, बैंकों के एफआईपी पर आधारित क्षेत्रों, अपवर्जित ब्लॉकों पर विशेष ध्यान देने के साथ लक्ष्य समूह अर्थात एसएचजी, छात्रों, वरिष्ठ नागरिक; किसानों; छोटे उद्यमियों आदि, को शामिल किया जाए। एफआईएफ से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए बैंकों के साथ नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय तिमाही आधार पर समीक्षा करता है और एसएलबीसी की एफआई उप समिति में भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

छ. सिडबी

- समृद्धि, एक वर्चुअल सहायक जिसे 02 अप्रैल 2018 को उदमी मित्र पोर्टल पर सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वर्चुअल सहायक, ऋणों के प्रकार से लेकर हैंडहोल्डिंग सहायता तक के विषयों के एक विस्तृत भाग के बारे में उभरते हुए उद्यमी को मार्गदर्शित करता है। (अंग्रेजी और हिंदी में संचालित)
- द्विभाषी प्रारूप में "एमएसई उद्यमियों के लिए एक बैंकेबिलिटी किट" को पोर्टल पर होस्ट किया गया है। यह उद्यमियों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घटकों के अलावा स्वयं का आंकलन करने, बैंकर क्या चाहते हैं इसपर अवलोकन करने, बैंकों के साथ संवाद स्थापित करने हेतु टिप्स, एमएसएमई के लिए वित्तीय उत्पादों, के संबंध में वन स्टॉप गाइड है।

- प्रमाणित क्रेडिट काउंसलरों और सीसीआई को सूचीबद्ध किया गया है एवं उसे उद्यमी मित्र प्लेटफ़ॉर्म पर रखा गया है, जिससे एमएसएमई पक्ष के मांग मुद्दों, विशेष रूप से पिरामिड के निचले भाग में, को बढ़ाने में गति मिल सके तथा साथ ही क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाकर आपूर्ति पक्ष को भी मजबूत किया जा सके।
- उद्यमी मित्र पोर्टल का लक्ष्य एमएसएमई की वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवा आवश्यकताओं तक पहुंच को आसान बनाना है। यह पोर्टल संदर्भ उद्देश्य के लिए 40 औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करते हुए 325 परियोजना से संबंधित प्रोफाइल को भी पेश करता है। 7618 से अधिक हैंडहोल्डिंग एजेंसियों ने 50680 जानकारी और आकांक्षी उद्यमियों की अन्य महत्वपूर्ण जरूरतों में सहायता की है। प्रमाणित क्रेडिट काउंसलर भी उद्यमियों को उनके ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं तथा उन्हें उधारदाताओं से उचित रूप से जोड़ रहे हैं।
- सिडबी ने राष्ट्रव्यापी कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के समर्थन के साथ एक उद्यमिता जागरूकता अभियान या उद्यमअभिलाषा परियोजना की शुरुआत की है जो 28 राज्यों में 115 आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन 115 जिलों में देश की 20% से अधिक आबादी रहती है और इसमें 8,600 से अधिक ग्राम पंचायत हैं। अभियान के दौरान 18000+ युवाओं (लगभग 35% महिलाओं सहित) को प्रदान किए गए 2.25 लाख घंटे के इनपुट के साथ लगभग 470 प्रशिक्षण स्थानों को कवर किया गया था।
- सिडबी ने जनता के बीच सूचना के प्रसार के लिए हौजखास मेट्रो स्टेशन (नई दिल्ली में) को एक थीम आधारित स्टेशन के रूप में अपनाया है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सीजीटीएमएसई, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सिडबी की पेशकशों, भारत सरकार की पहलों आदि, से जोड़ना है।
- हाल ही में आयोजित कुंभ मेले के दौरान, सिडबी ने एक स्वावलंबन स्टाल स्थापित करके एक विशेष परियोजना की शुरुआत की और खेल (कौन बनेगा उद्यमी), नुक्कड़ नाटक / कठपुतली प्रदर्शन, वित्तीय साक्षरता वीडियो और विभिन्न योजनाओं जैसे कि मुद्रा, सीजीटीएमएसई, स्टैंडअप इंडिया, आदि, के प्रसार द्वारा जानकारी दिये जाने के माध्यम से देशभर में उद्यमशीलता संस्कृति को फैलाने के उद्देश्य से वित्तीय जागरूकता सृजित करने का प्रयास किया।

ज. एनपीसीआई

- एनपीसीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ रुपे, आईएमपीएस, एईपीएस और यूएसएसडी -* 99 # पर जागरूकता फैलाने और साक्षरता सत्रों को संचालित करने पर कार्य आरंभ कर दिया है। एनपीसीआई सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ संबद्ध था। जागरूकता और

साक्षरता सत्रों का संचालन करते हुए एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान साक्षरता और धोखाधड़ी जागरूकता पर पोस्टरों, एटीएम स्क्रीन, वेब बैनरों, एसएमएस, ईमेल आदि को भी वितरित किया।

- इन एजेंसियों की मदद से, कॉर्पोरेट कर्मचारियों और लाभार्थियों में डिजिटल भुगतान साक्षरता का प्रसार किया गया। वर्तमान में, डिजिटल भुगतान साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ये बैंकों के अलावा भारतीय रेलवे, ओएमसी, नाबार्ड, शिक्षा संस्थान, कॉर्पोरेट सीएसआर, एनयूएलएम, एमएफआई, बीसी, एनजीओ, एग्रीटेक, फिनटेक आदि, के साथ संबद्ध हैं।
- विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर दिनांक 8 सितंबर 2015 को देश भर में एक साथ 120 ई-पेमेंट साक्षरता शिविरों को आयोजित करने के लिए इसे वर्ष 2017 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। कार्यशाला में 23,930 ग्राहक शामिल हुए थे।